बांध, नदी एवं अधिकार

बांधो से प्रभावित समुदायों के लिए एक मार्गदर्शिका

International Rivers Network
linking Human Rights and Environmental Protection

SOUTH ASIA NETWORK ON DAMS, RIVERS AND PEOPLE
S A N D R P
बांधो, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क

आभार

इस मार्गदर्शिका का प्रकाशन सर्वप्रथम अंग्रेजी में इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क (आईआरएन) द्वारा किया गया था एवं भारत में उसका पुनः प्रकाशन इंसाफ (इंडियन सोशल ऐक्शन फोरम) द्वारा किया गया है। हम आईआरएन के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इसे हिन्दी में अनुवाद करके यहां प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की है। हम इंसाफ के भी आभारी हैं कि उन्होने अपने रिकार्ड से हमें इस मार्गदर्शिका की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध करायी।

यह मूल मार्गदर्शिका का हूबहू अनुवाद नहीं है, हमने इसे सामान्य तौर पर दक्षिण एशियाई सन्दर्भ में एवं खासकर भारतीय सन्दर्भ में ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार इसके विषयवस्तु एवं उदाहरणों में फेरबदल की कोशिश की है। हमने स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विषयवस्तु एवं चित्रों को भी शामिल किया है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में झारखण्ड राज्य में प्रस्तावित कोयल–कारो बांध के खिलाफ हुए सफल आन्दोलन पर एक बॉक्स को भी शामिल किया गया है। रन ऑफ दि रिवर परियोजना के गंभीर प्रभाव का पृष्ठ भी हमने जोड़ दिया है।

हिन्दी अनुवाद बिपिन चन्द्र चतुर्वेदी एवं हिमांशु ठक्कर द्वारा किया गया है। स्वरूप भट्टाचार्य ने चित्रों के आवश्यक फेरबदल करने में मदद की है। सैण्ड्रप (युवा, मुम्बई की एक परियोजना) स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजर्वेशन की आभारी है जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए संसाधन उपलब्ध कराया।

इस मार्गदर्शिका के बारे में पाठकों की प्रतिक्रिया का हम स्वागत करेंगें। हम आशा करते हैं कि बड़े बांधों एवं सम्बन्धित परियोजनाओं के विपरीत असरों से प्रभावित समुदायों के लिए यह मार्गदर्शिका उपयोगी साबित होगी।

"Dams, Rivers & Rights : An Action Guide for Communities Affected by Dams" का प्रकाशन आईआरएन द्वारा वर्ष 2006 में किया गया था।

बांधों, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क (सैण्ड्रप)
द्वारा हिन्दी मार्गदर्शिका प्रकाशित
जून 2007

सम्पर्क : बांधों, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क (सैण्ड्रप)
द्वारा : 86–डी, ए.डी. ब्लॉक
शालीमार बाग, दिल्ली – 110 088
फोन : +91 – 11 – 2748 4655
ईमेल : cwaterp@vsnl.com
वेबसाइट : www.sandrp.in

मुद्रक : सनसाइन प्रोसेस, बी– 105/5, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज –1
नयी दिल्ली – 110 028

न्यूनतम सहयोग राशि : रुपये 30/–

नोट : इस पुस्तक में प्रयुक्त सामग्री का पुनः उपयोग किया जा सकता है, स्रोत का उल्लेख करेंगे, ऐसी आशा है।

विषय सूची

भूमिका 3

अध्याय 1 : बांधों के बारे में मूलभूत जानकारियां 4
- बांध क्या होता है? 4
- बांध क्या करते हैं? 4
- किनको लाभ होता है? किनको नुकसान होता है? 5
- बांध कैसे कार्य करते हैं? 6
- बांधों की कीमत कौन अदा करता है? 7

अध्याय 2 : बांधो के असर 8
- रन ऑफ दि रिवर परियोजना के गंभीर प्रभाव 9
- चित्र प्रस्तुति (बांध के असर) 10
- विस्थापन की असलियत 12
- डाउनस्ट्रीम में प्रभावित लाखो लोग 14

अध्याय 3 : विनाशकारी बांधो के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आन्दोलन 16
- बांध संघर्षकारियों की सफलताए 17
- सफलता ..... लेकिन बांध से समुदायों को अब भी खतरा 18

अध्याय 4 : विनाशकारी बांधो के खिलाफ कैसे संघर्ष करें 19
- अपने अभियान के लिए योजना बनाना 20
- बांधों के खिलाफ लड़ने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियां 22
- बांध बनने के हरेक स्तर पर आप क्या कर सकते हैं 27

अध्याय 5 : बांधों के विकल्प की दिशाएं 32
- ऊर्जा के विकल्प 32
- पानी की मांग पूरा करने के लिए विकल्प 35
- बाढ़ प्रबंधन के विकल्प 36
- वर्षा जल संग्रहण 38

निष्कर्ष 39

प्रमुख सम्पर्क 40

कठिन शब्द

जलाशय **(Reservoir)** : जब बांध बनता है तो उससे निर्मित होने वाला झील।

बड़े बांध **(Large Dam)** : आईकोल्ड के मुताबिक जिस बांध की ऊंचाई नींव से लेकर 15 मीटर से अधिक हो।

अपस्ट्रीम **(Upstream)** : बांध के ऊपर का या पीछे वाले इलाके, जिसमें जलाशय एवं उससे पीछे स्थित इलाके शामिल होते हैं।

डाउनस्ट्रीम **(Downstream)** : बांध के बाद का या नीचे का नदी का इलाका।

फील्ड सर्वेक्षण **(Field survey)** : लोगों से बात करके एवं चीजों व स्थानों को सीधे देखकर जानकारी इकट्ठा करना।

विस्थापन **(Displacement)** : लोगों को अपने घरों एवं जमीनों से हटाना।

पुनर्वास **(Resettlement)** : बांधों को बनाने के लिए लोगों को हटाकर नये या मौजूदा अन्य गांवों में ले जाना।

क्षतिपूर्ति या मुआवजा **(Compensation)** : लोगो को हुई क्षति के बदले दिये जाने वाले धन या अन्य वस्तु

डीकमीशन **(Decommission)** : बांध को हटा देना या उसका इस्तेमाल रोकना। इसमें बांध के ढांचे को बदलना, बांध के दरवाजे को हमेशा के लिए खोलना, या बांध को हटाना शामिल है।

पुनर्संचालन **(Re-operation)** : नदी को ज्यादा प्राकृतिक तरीके से बहने देने के लिए बांध के संचालन में बदलाव करना।

क्षतिपूर्ति **(Repararations)** : मौजूदा बांधों की वजह से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति या क्षति की भरपायी के लिए दिया जाने वाला धन या अन्य वस्तु।

मिटीगेशन **(Mitigation)** : बांध के असर को कम करने के उपाय। इसमें वन्य जीव अभयारण्य बनाना, बांधों के नीचे के नदी के इलाके में पानी छोड़ना एवं प्रभावित लोगों को धन एवं नयी आजीविका प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

गाद **(Sediment)** : नदियों द्वारा वहन किये जाने वाले मिट्टी, रेत, धूल एवं पत्थर।

सिस्टोसोमियासिस **(Schistomiasis)** : स्वच्छ पानी के नहरों, नदियों या झीलों में रहने वाले किसी खास किस्म के जीवाणुओं के सम्पर्क में आने से होने वाली बीमारी।

स्वैच्छिक संस्था **[Non-Governmental organization (NGO)]** : एक संस्था जो सरकार से स्वतंत्र हो।

अहिंसक सीधी कार्यवाही **(Non-violent direct action)** : निर्णयकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए एवं संघर्ष के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए शांतिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करना।

सार्वजनिक विकास बैंक **(Public development bank)** : एक अंतरराष्ट्रीय बैंक, जैसे विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank), जो कि सरकारों या कम्पनियों को विकास के लिए रकम उधार देती हैं। सार्वजनिक विकास बैंक सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

विश्व बांध आयोग **(World Commission on Dams)** : बांधों के प्रदर्शन के अध्ययन, विकल्पों के परीक्षण एवं भावी बांधों के लिए सिफारिश करने के लिए गठित स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय आयोग। इसकी अंतिम रिपोर्ट सन 2000 में जारी हुई। इसके बारे में जानकरी **www.dams.org** पर उपलब्ध है।

आईकोल्ड **(ICOLD)** : बड़े बांधों से सम्बन्धित अंतरराष्ट्रीय मंच, जो कि बड़े बांधो के समर्थक समूहों से बना है।

नोट : इस मार्गदर्शिका में वित्तीय आंकड़े एक अमरीकी डालर = रुपये 41/– के हिसाब से दिए गये है।

भूमिका

विश्व भर में, लोग विनाशकारी बड़े बांधों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वे नये बांधों से अपनी नदियों एवं आजीविका की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुराने बांधों की वजह से खड़ी हुई समस्याओं के लिए वे क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। वे ऊर्जा, जल आपूर्ति एवं बाढ़ प्रबंधन के बेहतर विकल्प का प्रस्ताव कर रहे हैं। वे सब उन निर्णयों में अपनी अपनी बात रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।

पिछले 20 सालों से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांधों के आन्दोलन काफी आगे बढ़े हैं उन्हें काफी सफलताएं मिली हैं। कुछ बांध रोके गये हैं। छोटे बांधो एवं जल संरक्षण जैसे बेहतर विकल्पों पर अमल हुआ है। समुदायों ने बेहतर क्षतिपूर्ति हासिल किया है। कुछ बांध हटाए गये हैं।

लेकिन विश्व भर में नये बाधों से समुदायों पर खतरा बरकरार है।

नये बांधों से प्रभावित होने वाले समुदायों को सशक्त करने एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे बांध विरोधी आन्दोलन के विचारों को बांटने के लिए इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क ने यह कार्यवाही गाइड (मार्गदर्शिका) तैयार की है। इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क एवं विश्व भर में फैले अन्य स्वैच्छिक संगठन आपके संघर्ष में सहायता कर सकते हैं। आपको सहयोग कर सकने वाले स्वैच्छिक संगठनों की सूची इस मार्गदर्शिका के अंत में दी हुई है, जिसमें इन मुद्दों पर भारत में तथा कुछ पड़ोसी देशों में सक्रिय समूह भी शामिल हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि यह गाइड आपको यह जानकारी एवं माध्यम उपलब्ध कराने में मदद करती है कि एक प्रस्तावित बांध के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, कैसे अपने अधिकारों की रक्षा करें एवं बांधों के बारे में लिए जाने वाले निर्णयों में अपनी बातों को रखने की मांग कैसे करें।

- इस मार्गदर्शिका की शुरूआत में कठिन शब्द एवं उनके विस्तृत अर्थों की सूची दी गई है।
- अध्याय 1 में बांधों के बारे में सामान्य जानकारियां दी गई हैं : बांध कैसे काम करते हैं, बांधों से कौन लाभान्वित होता है एवं कौन बांधों के लिए कीमत चुकाता है।
- अध्याय 2 में बांधों से समुदायों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर होने वाले असर के बारे में चर्चा शामिल है।
- अध्याय 3 विनाशकारी बांधों के खिलाफ लोगों के अंतरराष्ट्रीय आन्दोलन एवं उसकी सफलता के बारे में वर्णन करती है।
- अध्याय 4 यह विचार देता है कि समुदाय बाधों को कैसे चुनौती दे सकते हैं एवं कैसे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।
- अध्याय 5 लोगों के लिए जल एवं ऊर्जा की पूर्ति एवं बांढ़ प्रबंधन की आवश्यकताओं के बेहतर विकल्प के बारे में जानकारी देता है।
- मार्गदर्शिका के अंत में उन सम्पर्कों की सूची दी गई है जो आपकी मदद कर सकते हैं।

हम विनाशकारी बड़े बांधों के खिलाफ आपके संघर्ष की सफलता की कामना करते हैं। न्याय एवं सम्मान के लिए संघर्ष में हम सब एक हैं। जल जीवन का साधन है, मौत का स्रोत नहीं!

इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क

बांधों, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क (सैण्ड्रप)

बांधों के बारे में मूलभूत जानकारियां

बांध क्या होता है?

बांध नदियों के आर–पार बनायी जाने वाली एक दिवाल होती है। बांध मिट्टी, पत्थर या कंक्रीट से बनाया जा सकता है। वे नदी के बहाव को रोकते हैं, कृत्रिम झीलों का निर्माण करते हैं जिन्हें जलाशय कहा जाता है। जलाशय में जमा जल का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति, नौकाओं के लिए आवागमन व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण एवं मनोरंजन के लिए किया जा सकता है। कुछ बांध इनमें से एक से ज्यादा उपयोग के लिए (बहुउद्देशीय) बनाए जाते हैं।

विश भर में 52 000 से ज्यादा बड़े बांध (15 मीटर से ऊंचे) बनाए जा चुके हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरीका (यू.एस.ए.) एवं भारत में सबसे ज्यादा बड़े बांध हैं। विश्व के सबसे बड़े बांध 250 मीटर से ज्यादा ऊंचे (या 60 तल के इमारत से ऊंचा) एवं कई किमी चौड़े होते हैं। इनकी कीमत अरबों रूपये में होती है एवं इन्हें बनने में 10 साल से ज्यादा समय लगता है।

भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग के 2002 के प्रकाशन के अनुसार भारत में 4525 बड़े बांध है, जिनमें से 475 बड़े बांधों पर तब काम जारी था। लेकिन इस सूची में भारत के सभी बड़े बांध शामिल नहीं किये गये है। जैसे हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर बना चमेरा 1, 2 तथा 3 (काम जारी है) का इस सूची में जिक्र नहीं है।

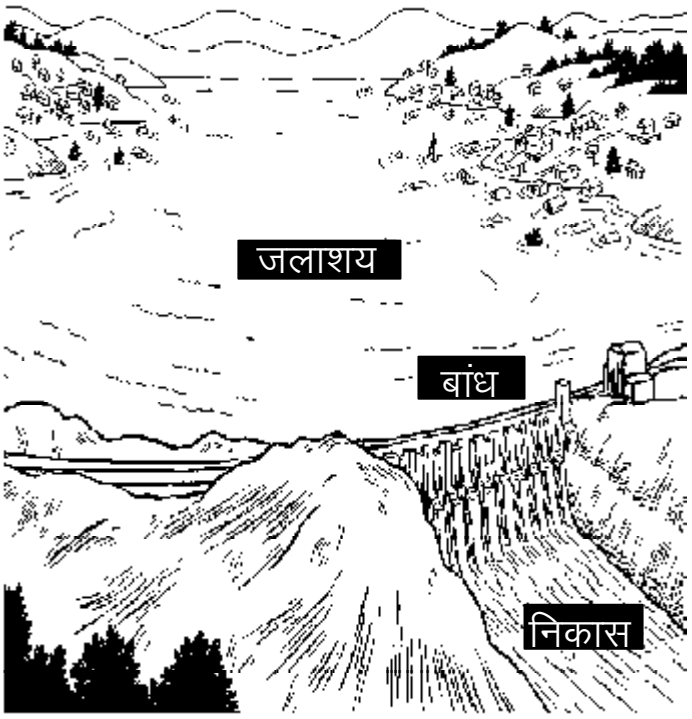

बांध विभिन्न आकार एवं नापों के होते हैं लेकिन ज्यादातर बांध में ये घटक होते हैं।

बांध क्या करते हैं?

- जल आपूर्ति एवं सिंचाई के लिए बने बांध जलाशय में पानी इकट्ठा करते हैं। इस पानी को शहरों एवं खेतों तक पहुंचाने के लिए काफी लम्बे पाइपों एवं नहरों का सहारा लिया जाता है।
- पनबिजली बांध से पानी को बिजली पैदा करने के लिए मशीन में डालते हैं जिन्हें टरबाइन कहा जाता है। उत्पादित बिजली को पारेषण (Transmission) लाइनों द्वारा शहरों एवं फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। टरबाइन से गुजरने के बाद, पानी को वापस नदी में बांध के नीचे छोड़ा जाता है।
- बाढ़ नियंत्रण बांध भारी बारिश के समय डाउनस्ट्रीम में बाढ़ में कमी लाने के लिए पानी इकट्ठा करते हैं।
- जल आवागमन बांध पानी इकट्ठा करते हैं एवं जब नदी में पानी का स्तर कम होता है तो पानी छोड़ते हैं ताकि पूरे साल नौकाओं का ऊपर एवं नीचे की ओर आवागमन हो सके। ये विशिष्ट किस्म के अवरोधों या तरीकों द्वारा बनाए जाते हैं जो नौकाओं को ऊपर एवं नीचे कर सकते हैं ताकि वे बांध के पीछे आवागमन कर सके।

किनको लाभ होता है? किनको नुकसान होता है?

बांधों में संग्रहित जल से होने वाले ऊर्जा उत्पादन एवं जल आपूर्ति से ज्यादातर लाभ फैक्ट्रियों एवं शहरों के निवासियों को होता है। बड़े किसान एवं बड़ी कृषि कम्पनियों को सिंचाई के सस्ते पानी से लाभ होता है। बांध अक्सर ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों से संसाधनों को छीनकर उनका लाभ उद्योगों एवं शहरों में रहने वाले लोगों को देते है। कई बार ये उद्योग एवं लोग अन्य देशों के होते हैं।

बांधों से सम्बन्धित निर्माण एवं प्रैद्योगिकी कम्पनियों को भी लाभ होता है। वे बांधों के डिजाइन तय करने एवं उन्हें बनाने एवं मशीनों की आपूर्ति के लिए करोड़ो रूपये हासिल करती हैं। सरकारों को बांधों के निर्माण एवं संचालन के दौरान कर संग्रहण से लाभ हो सकता है। चूंकि बांधों में काफी मात्रा में रकम खर्च की जाती है, भ्रष्ट सरकार या कम्पनी के अधिकारी कई बार अपने फायदे के लिए पैसे ले लेते हैं।

बड़े बांधों की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है वे ग्रामीण किसान एवं आदिवासी लोग हैं। बांधों एवं जलाशयों को बनाने देने के लिए लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। बड़े बांधों के डाउनस्ट्रीम में निवासरत लाखों लोगों ने अपने संसाधन एवं पारंपरिक आजीविका खो दी है।

इस मामले में सबसे बुरी बात यह यह है कि बांध प्रभावित लोगों को बांधों को बनाए जाने या नहीं बनाए जाने से सम्बन्धित निर्णयों में उन्हें कभी शामिल नही किया जाता है। वे सामान्यतया अपनी जानकारियों व जन सुनवाइयों के अधिकार, नयी जमीन एवं आजीविका की मांग के अधिकार एवं यहां तक कि बांधों के विरोध करने के उनके अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। खासतौर पर उन्हें बिजली एवं पानी का लाभ नहीं मिलता है जबकि वे बांधों के आस–पास निवासरत होते हैं।

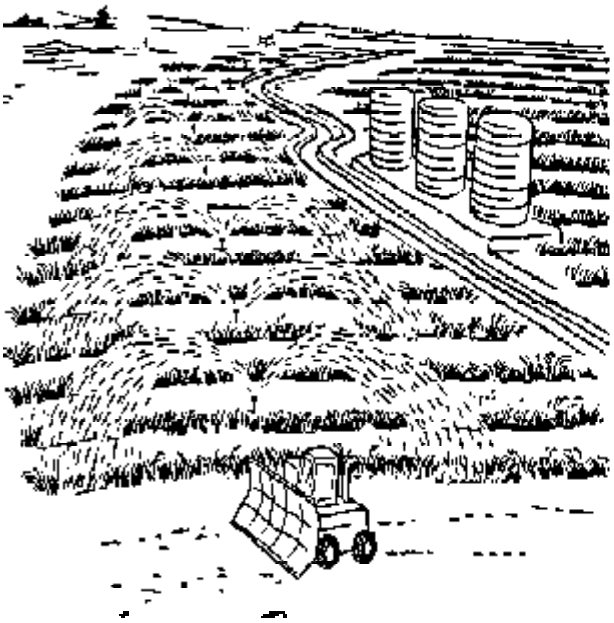

बड़े किसान व कम्पनियां बांधों से सिंचाई जल एवं बिजली हासिल करते हैं।

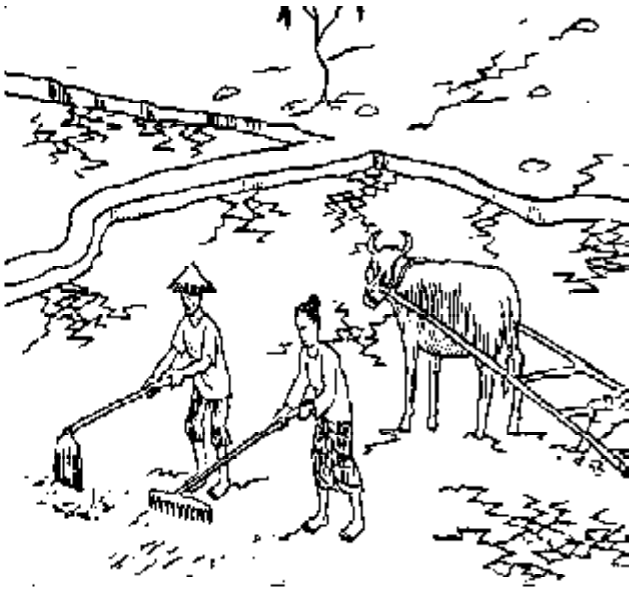

बांध प्रभावित लोग अक्सर ये लाभ हासिल नहीं कर पाते हैं एवं उनको खराब जमीन मिलती है या वे मजदूर बन जाते हैं।

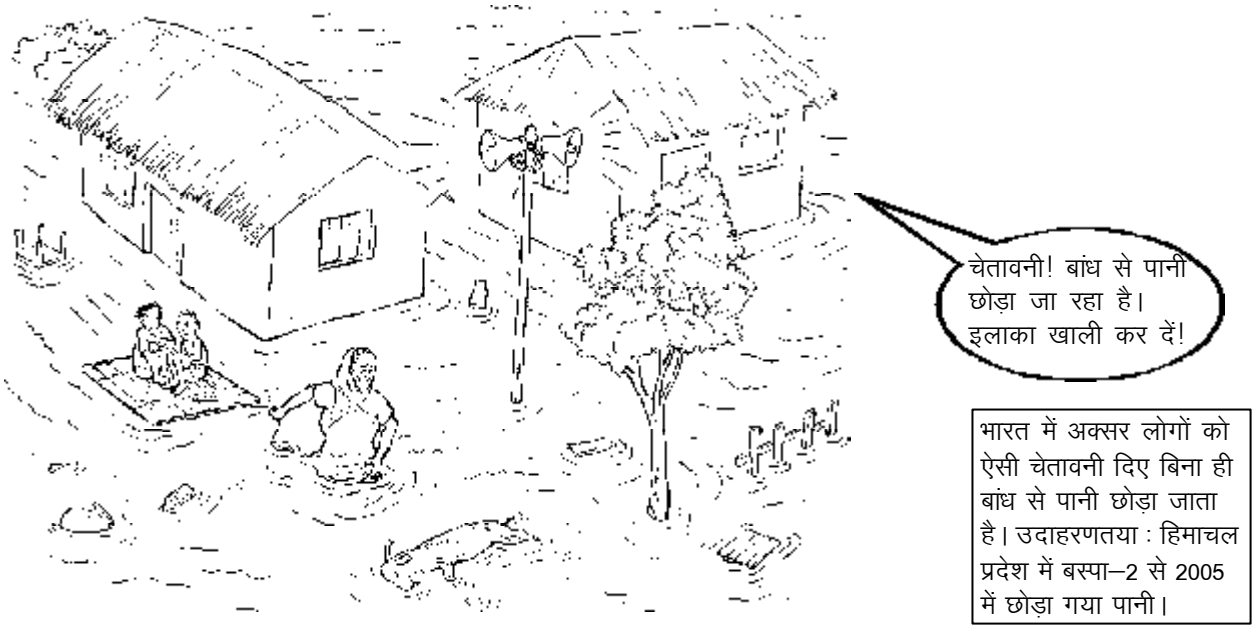

भारत में अक्सर लोगों को ऐसी चेतावनी दिए बिना ही बांध से पानी छोड़ा जाता है। उदाहरणतया : हिमाचल प्रदेश में बस्पा–2 से 2005 में छोड़ा गया पानी।

कुछ बांध बाढ़ से राहत देने के बजाय उसे बदतर बनाते हैं। उदाहरणतया : सूरत में उकाई बांध की वजह से 2006 में आई बाढ़

बांध कैसे कार्य करते हैं?

हांलाकि बांध कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं, वे अक्सर उतनी बिजली नहीं पैदा करते या उतनी जमीन की सिंचाई नहीं करते जितने दावे किए जाते हैं। जल आपूर्ति वाले बांध अक्सर दावे से कम पानी प्रदान करते हैं। ऐसा सामान्यतया होता है क्योंकि बांध निर्माता इस बात का वास्तविकता से ज्यादा अनुमान कर लेते हैं कि नदी में इस्तेमाल के लिए कितना पानी है।

बाढ़ नियंत्रक बांध हल्के बाढ़ रोक सकते हैं, लेकिन वे भारी बाढ़ से होने वाले नुकसान को ज्यादा बदतर बना सकते हैं। लोग बांध के डाउनस्ट्रीम में ज्यादा घर एवं मकान बना लेते हैं, क्योंकि वे उसे सुरक्षित समझते हैं और सरकारे अकसर ऐसी मान्यता को बल देती हैं। जबकि, भारी बाढ़ आने पर जब जलाशय बाढ़ के पानी को संग्रह नहीं कर पाता है तो, एकाएक भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है और डाउनस्ट्रीम में ज्यादा लोग अपनी सम्पत्ति एवं यहां तक कि जान गंवा बैठते हैं।

बांध हमेशा के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं। वे सामान्यतया कुछ निर्धारित सालों तक संचालन के लिए बनाए जाते हैं। बांध की उम्र नदी में उपलब्ध गाद सहित कई कारकों पर निर्भर होती है। कुछ अवधि के बाद, जलाशय गाद से भर जाता है। जैसे–जैसे गाद बढ़ता जाता है, बांध कम प्रभावी हो जाते हैं।

जब बांध अच्छी तरह काम नहीं करते, सरकारें एवं लोग परेशानी झेलते हैं

अर्जेण्टिना के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस मेनन ने याकरेटा बांध को ''भ्रष्ट्राचार का स्मारक'' कहा था। बांध की लागत 110.7 अरब रुपए से बढ़कर 471.5 अरब रुपए हो गई है एवं परियोजना अभी भी पूरी नहीं हुई है।

बांध अर्जेण्टिना एवं पराग्वे में स्थित है, एवं उसे जितना बिजली पैदा करना था उसका 60 प्रतिशत ही पैदा करती है। बांध का प्रबंधन करने वाले समूह पर अरबों डालर की उधारी है एवं वह उसे लौटा पाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि परियोजना लाभकारी नही है।

सरकारें अक्सर बांध बनाने के लिए रकम उधार लेती हैं। वे बहुत ज्यादा लाभ कमाने की उम्मीद करती हैं। जबकि, यदि बांध उम्मीद के अनुरूप बिजली पैदा नहीं कर पाती हैं तो, सरकारों के पास उधारी लौटाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। इस हालत में सरकारें शिक्षा एवं स्वास्थ्य के खर्च में कमी कर सकती हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है।

नगद लाभ के लिए गरीब देश जोखिम वाले बांधों में निवेश कर देते हैं, जिससे विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से उनकी उधारी बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में, गरीबी घटाने के लिए बनाए जाने वाले बांध वास्तव में गरीबी बढ़ा सकते हैं।

बांधों की कीमत कौन अदा करता है?

बांधों पर हर साल करीब 1640 अरब रुपए ,खर्च होते हैं। चूंकि बांध बनाना काफी महंगा काम है, इसलिए सामान्यतया सरकारें कई वित्तपोषकों से उधार लेती हैं। विश्व बैंक बांध के सबसे महत्वपूर्ण वित्तपोषकों में से एक है। इस सार्वजनिक विकास बैंक ने विश्व भर में 600 बांधों के लिए 2460 अरब रुपए खर्च किए gS एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank), अफ्रीकी विकास बैंक (African Development Bank) एवं अंतर–अमेरीकी विकास बैंक (Inter-American Development Bank) जैसी क्षेत्रीय विकास बैंक भी बांध बनाने के लिए सरकारों एवं कम्पनियों को उधार देती हैं।

जब सार्वजनिक विकास बैंक बांध निर्माण में आंशिक वित्तपोषण करते हैं, तो इससे सरकारों को निजी बैंकों से भी उधार लेना आसान हो जाता है। जापान, जर्मनी और अब चीन जैसे सम्पन्न देश भी उन देशों को अनुदान एवं उधार देती हैं जो बांध बनाना चाहते हैं।

जब बांध बन जाता है तो, सरकारों को इन ऋणों की वापसी करनी होती है। यहां तक कि बांध से उम्मीद के अनुरूप लाभ नहीं होने पर भी, सरकारों को उधार की वापसी करनी होती है।

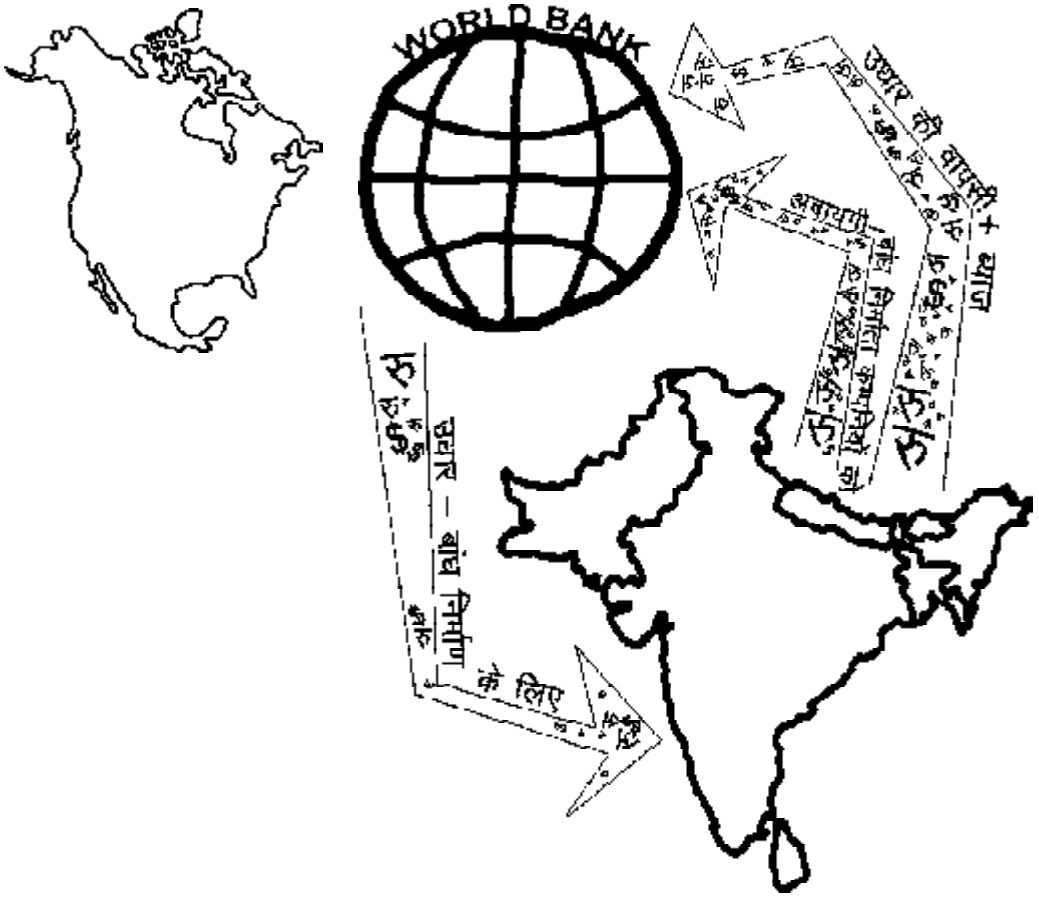

सम्पन्न देशों के लोग बांध निर्माण से दो तरीके से लाभान्वित होते हैं। बांध निर्माता कम्पनियां बांध बनाने के लिए रकम हासिल करती हैं, एवं जब गरीब देश उधार लौटाती हैं तो सरकारें ब्याज हासिल करती हैं।

अध्याय 2

बांधो के असर

जब बावा महारीया ने मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला स्थित अपनी जमीन पर नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले सरदार सरोवर बांध की योजना के बारे में पहली बार सुना तो उसने उसका विरोध किया। बांध निर्माताओं ने उन्हें तथा अन्य लाखों विस्थापित होने वाले लोगों को समझाया कि ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ कुछ लोगों को हटना पड़ेगा। उन्होंने बावा महारीया एवं उसके समुदाय को जमीन, जल आपूर्ति, स्कूल एवं नये घर देने का वादा किया।

लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। बावा महारीया ने बताया कि, ''जब हमें पर्याप्त जमीन तथा अन्य पुनर्वास सुविधा नहीं मिलती, तो वह हमारे बच्चों एवं भावी पीढ़ी के मौत का कारण बनता है क्योंकि उनके पास भविष्य में आजीविका चलाने के लिए कुछ नहीं होगा।''

यह सिर्फ बावा महारीया की कहानी नहीं है। विश्व बांध आयोग के आंकड़ों के अनुसार करीब 4 करोड़ से 8 करोड़ के बीच लोग बांधों के बनने से अपने घरों एवं जमीनों से हटने के लिए बाध्य हुए हैं। उनमें से ज्यादातर अब और गरीब हो गये हैं। उनकी आजीविकाएं, संस्कृतियां एवं समुदाय नष्ट हो चुकी हैं।

विश्व बांध आयोग के लिए भारत के बड़े बांधों पर किए गये अध्ययन के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों से लगता है कि भारत में बड़े बांधों से 5.67 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। इस अध्ययन के लेखकों का अनुमान है कि ये संख्या वास्तविकता से शायद 25 प्रतिशत ज्यादा हो। मतलब कि भारत में बड़े बांधो से वर्ष 2000 तक कम से कम 4.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से 62 प्रतिशत आदिवासी या दलित लोग हैं, जो बताता है कि बांधों की कीमत कौन चुकाता है। सैण्ड्रप के अध्ययन के अनुसार भारत में 4528 बड़े बांधों के जलाशय में करीब 44.2 लाख हेक्टेयर जमीन डूब में गई है।

बांधों ने विश्व की कुछ महत्वपूर्ण जन्तु आवासों एवं उपजाऊ कृषि भूमि को डुबो दिया है। नदियां नष्ट हो गई हैं। कुछ मछलियां, जीवों एवं पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं।

यह अध्याय समुदायों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर बांधों के प्रभावों के बारे में वर्णन करता है। विस्थापित परिवारों एवं बांध के डाउनस्ट्रीम में रहने वाले समुदायों पर बांधों से होने वाले विशिष्ट असरों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस बात पर चर्चा करेंगे कि बड़े बांधो से अपने जीवन एवं आजीविका की रक्षा के लिए झाबुआ जिले के समुदाय क्या कर रहे हैं।

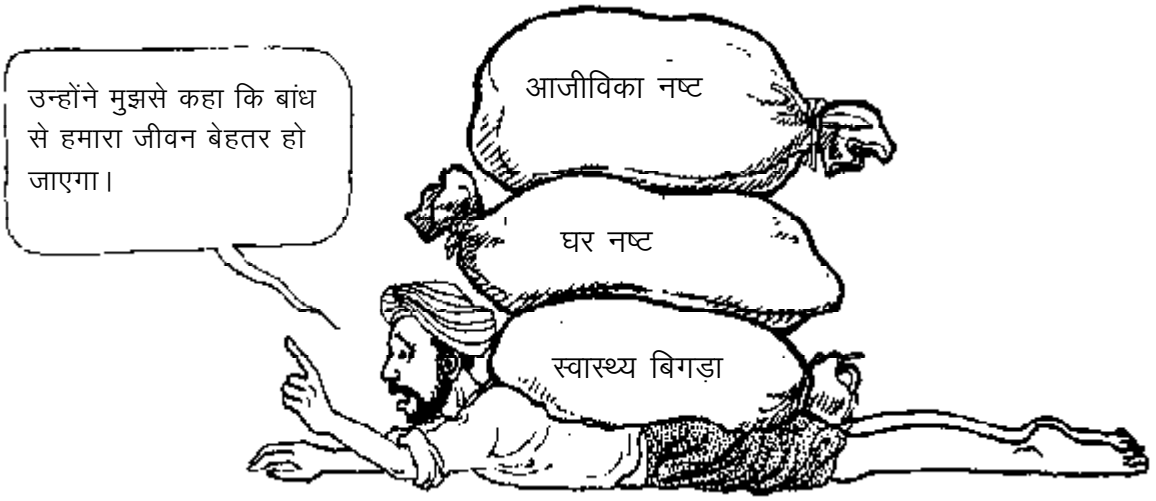

रन ऑफ दि रिवर पनबिजली परियोजना के प्रभाव गंभीर हो सकते हैं।

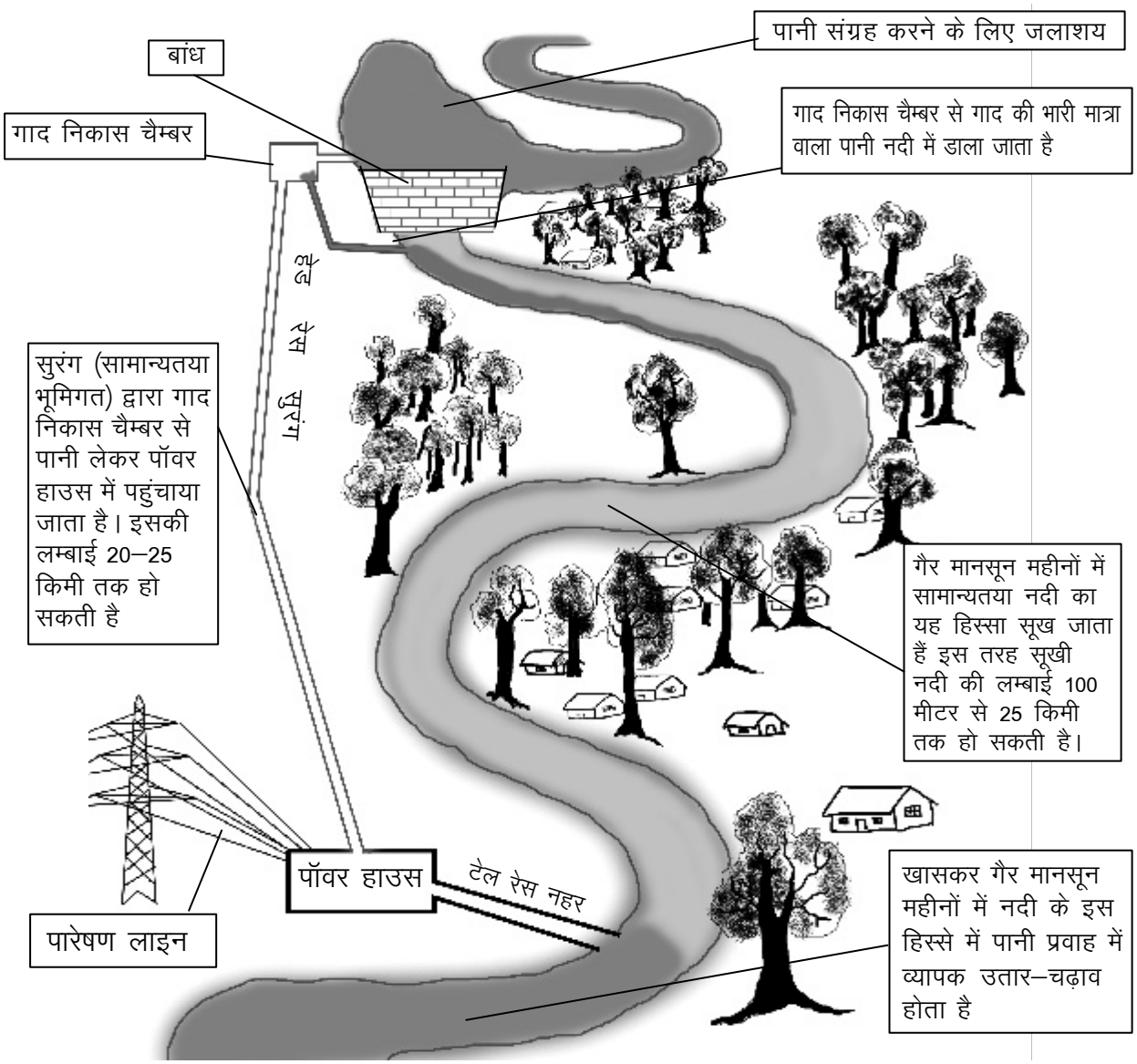

रन ऑफ दि रिवर परियोजना की बनावट कुछ इस प्रकार होती हैं

ऐसा प्रचार किया जाता है कि रन ऑफ रिवर पनबिजली परियोजनाएं पर्यावरण तथा समाज के लिए कम नुकसानदेह होती है। यह हमेशा सही नहीं होता। यह सही है कि बड़े जलाशय की तुलना में उस स्थान पर यदि रन ऑफ रिवर परियोजना बनाई जाए तो वह कम नुकसानदेह होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन परियोजनाओं से समाज व पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नकारा जाये। इन योजनााओं से कई किमी तक नदी सूख जाती है। नदी में मछली तथा अन्य जीव–जन्तु करीब–करीब समाप्त हो जाते हैं। कई किमी लम्बी सुरंग के लिए किये जाने वाले विस्फोटों से तथा संलग्न काम से दूर–दूर के घर, अन्य मकानों एवं ढांचों को नुकसान होता है तथा भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। सुरंग खुदाई तथा अन्य काम से पैदा हुए मलबा को सही तरीके से डालने की योजना अक्सर नहीं बनती है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है। नदी में पानी के प्रभाव में होने वाले त्वरित व व्यापक बदलाव अपने दुष्परिणाम लाते हैं। ऐसी योजनाएं अकसर हिमालय के पहाड़ी इलाकों में बनते हैं, जहां का सूक्ष्म पर्यावरण नष्ट हो जाता है और वहां की कृषि प्रभावित होती है। इन परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में जरूरी सामग्री (रेत, बजरी, गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट, सरिया) जहां से लाई जाती है वहां वे और पर्यावरण तथा सामाजिक असर लाते है। हिमालय के ग्लेशियर पिघलने की स्थिति में इनका भविष्य अंधकारमय है।

बांध के असर

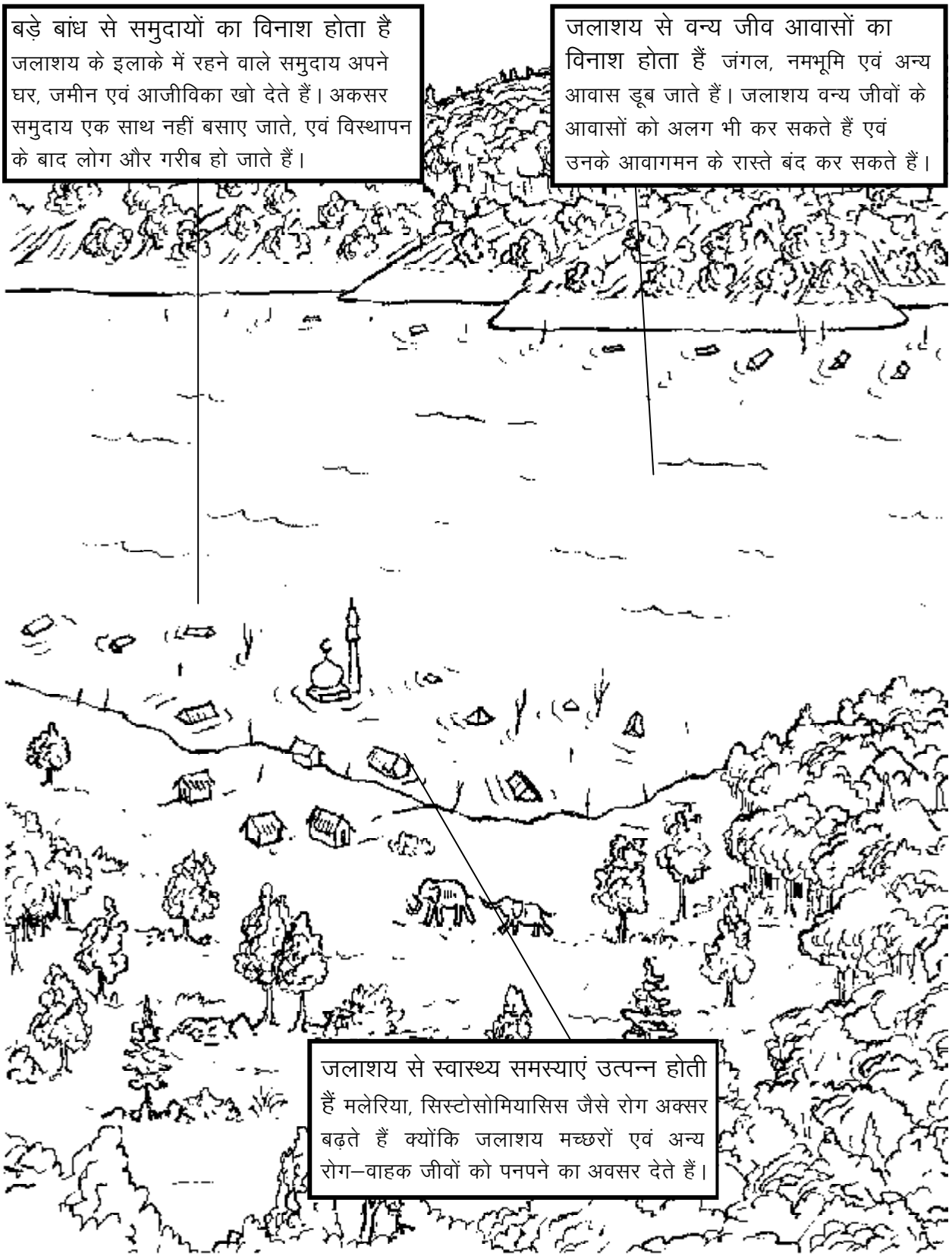
बड़े बांध से समुदायों का विनाश होता है जलाशय के इलाके में रहने वाले समुदाय अपने घर, जमीन एवं आजीविका खो देते हैं। अकसर समुदाय एक साथ नहीं बसाए जाते, एवं विस्थापन के बाद लोग और गरीब हो जाते हैं।
जलाशय से वन्य जीव आवासों का विनाश होता हैं जंगल, नमभूमि एवं अन्य आवास डूब जाते हैं। जलाशय वन्य जीवों के आवासों को अलग भी कर सकते हैं एवं उनके आवागमन के रास्ते बंद कर सकते हैं।
जलाशय से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं मलेरिया, सिस्टोसोमियासिस जैसे रोग अक्सर बढ़ते हैं क्योंकि जलाशय मच्छरों एवं अन्य रोग–वाहक जीवों को पनपने का अवसर देते हैं।

बड़े बांधों से मछलियों एवं मात्स्यिकी का विनाश होता है

अपस्ट्रीम में मछलियों की संख्या में कमी आती है क्योंकिनदी की मछलियां बांध के पार नहीं जा पाती हैं। बांध के नीचे, पानी के बहाव एवं गुणवत्ता में कमी के कारण मछलियां नष्ट हो सकती हैं। नदी में पानी के रुकने से जो लोग अपने भोजन एवं आय के लिए मछलियों पर निर्भर रहते हैं, उनकी आजीविका समाप्त हो जाती है। नदी का मुख, जो मछली उत्पादन का अच्छा क्षेत्र होता है, खत्म हो जाता है।

बांध अमीरों को पानी व ऊर्जा देता हैं

ग्रामीण किसानों एवं मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले नदियों का पानी बांधों एवं जलाशयों में रोक लिया जाता है। इन लोगों के बजाय जो इन सेवाओं की कीमत अदा कर सकता है उन्हें पानी एवं बिजली प्रदान की जाती है।

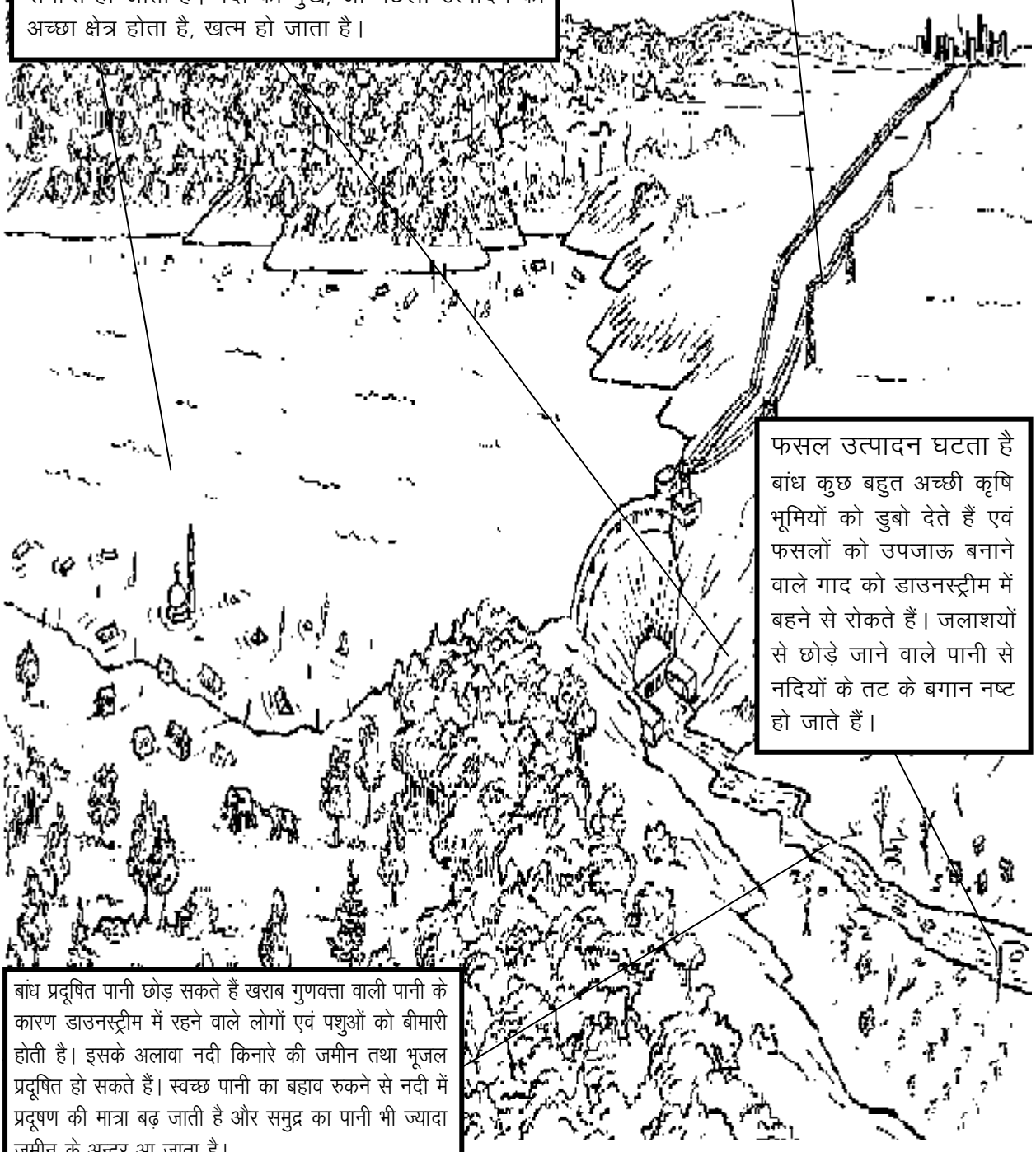

फसल उत्पादन घटता है

बांध कुछ बहुत अच्छी कृषि भूमियों को डुबो देते हैं एवं फसलों को उपजाऊ बनाने वाले गाद को डाउनस्ट्रीम में बहने से रोकते हैं। जलाशयों से छोड़े जाने वाले पानी से नदियों के तट के बगान नष्ट हो जाते हैं।

बांध प्रदूषित पानी छोड़ सकते हैं खराब गुणवत्ता वाली पानी के कारण डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोगों एवं पशुओं को बीमारी होती है। इसके अलावा नदी किनारे की जमीन तथा भूजल प्रदूषित हो सकते हैं। स्वच्छ पानी का बहाव रुकने से नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है और समुद्र का पानी भी ज्यादा जमीन के अन्दर आ जाता है।

विस्थापन की असलियत

विस्थापित समुदाय परेशानी उठाते हैं

बांध के सबसे बड़े असरों में से एक है लोगों का अपने घरों से जबरदस्ती विस्थापन। जलाशय उन इलाकों को डुबो देते हैं जहां लोग रहते हैं, फसले, मछली पैदा करते हैं एवं जानवर पालते हैं। कई बार परिवार उस जमीन पर सदियों से रह रहे होते हैं। इसके बावजूद, सरकारें एवं बांध निर्माता लोगों को अपने घर एवं जमीन छोड़ने को बाध्य करती हैं। बड़ी संख्या में पूरे के पूरे गांव डुबो दिये जाते हैं।

भारत में बड़े बांधों से कम से कम 4.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं।

विस्थापन लोगों को गरीब बना देता है। उन्हें खाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न एवं अपने परिवार की मदद के लिए पर्याप्त आमदनी जुटाने में परेशानी होती है। वे ज्यादा समय तक खेती एवं मछली पकड़ने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। ग्रामीण समुदायों को जबरदस्ती शहरों या कस्बों की ओर जाना पड़ता है, जहां उन्हें जीने के नये तरीके अपनाने पड़ते हैं। शहरों में, उन्हें अपराध एवं नशीली दवाइयों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

विस्थापन समुदायों एवं संस्कृतियों को नष्ट कर देते हैं। गांव का समुदाय अक्सर अलग होकर बिखर जाते हैं, इस तरह लोग ज्यादा दिन तक अपने साथियों एवं रिश्तेदारों के साथ नहीं रह पाते। आदिवासी एवं दलित लोग अक्सर बांध निर्माण के कारण पीड़ीत होते हैं। सांस्कृतिक स्थल एवं पुरखों के स्मृति स्थल डूब सकते हैं। लोगों का अपने पुरखों की जमीन से नाता टुट सकता है।

जमीनों के उपजाऊ न होने या खेती के लिए बहुत खराब होने के कारण बांध से विस्थापित कुछ लोगों ने उन जमीनों को छोड़ दिया।

मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के कारण जबरदस्ती विस्थापित आदिवासियों का कहना है कि, ''कुछ लोग ने सोचा कि वे विस्थापित होंगे तो बीमार हो जाएंगे। उन लोगों ने सोचा कि वहां हमारी अपनी जमीन नहीं है। यह तो दूसरे देश में जाने जैसा है। हमारे गांव तथा समुदाय की आत्मीयता, घर की आत्मीयता नष्ट हो गयी है।''

पुनर्वास से जुड़ी समस्याएं

कुछ लोग जो बांध से विस्थापित होते हैं, उन्हें नये घर दिये जाते हैं। इसे पुनर्वास कहा जाता है। लोग मौजूदा गांवों में या बांध प्रभावित लोगों के लिए बने नये गांवों में बस सकते हैं।

बांध निर्माता अक्सर यह वादा करते हैं कि पुनर्वास के बाद लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा। वे वादा करते हैं कि लोगों को नौकरियां एवं पानी व बिजली से युक्त नये बड़े घर मिलेंगे। जबकि, ये वादे सामान्यतया झूठ साबित होते हैं। वे घर अक्सर छोटे एवं बेकार तरीके से बने होते हैं। लोग नये गांवों में बिजली एवं पानी की कीमत अदा नहीं कर पाते हैं। वे जमीन हासिल कर भी पाए तो सामान्यतया पहले के मुकाबले कम जमीन हासिल कर पाते हैं। उनकी पुरानी जमीन के मुकाबले नयी जमीन में खेती करना ज्यादा कठिन होता है।

पुनर्वसित लोग अक्सर उस तरह से खेती करने, मछली पकड़ने या पशु पालने में असमर्थ रहते हैं, जैसा वे पहले किया करते थे। कई बार बांध निर्माता उन्हें पशु चराने या बाजार में बेचने लायक फसल उगाने जैसी नयी आजिविका अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जबकि, सामान्यतया ये असफल रहते हैं एवं लोगों का जीवन पहले के मुकाबले ज्यादा कठिन हो जाता है।

पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता

मुआवजा वह रकम या अन्य वस्तुएं होती हैं जो बड़े बांध परियोजना से लोगों को हुए नुकसान के बदले दी जाती है। जब लोगों को नगद रकम दी जाती है, वह अक्सर उनके जीवन–यापन के लिए पर्याप्त नहीं होती। यदि लोगों को नगद रकम इस्तेमाल करने की आदत नहीं होती है तो, वे नहीं समझ पाते कि रकम को लम्बी अवधि तक कैसे चलाया जाय। कई लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है। सरकार अकसर कहती है कि उन लोगों को मुआवजे का अधिकार नहीं है क्योंकि उनकी जमीन पर उनका कानूनी मालिकाना हक नहीं है। समुदाय जमीन में भागीदारी कर रहे होते हैं या कुछ लोग दूसरों की जमीन में खेती कर रहे होते हैं। या सरकार का प्रभावित लोगों के बारे में आकलन गलत होता है और हजारों प्रभावित लोगों की गिनती ही नहीं होती। कई जगह जमीन के पट्टे पर पीढ़ियो तक नाम नहीं बदलता, जिससे नयी पीढ़ी के लोगों का नाम प्रभावित सूची में नहीं होता। तदोपरांत परियोजना से लोग कई तरीके से प्रभावित होते हैं। जैसे नहर, कालोनी, डाउनस्ट्रीम इत्यादि, लेकिन जलाशय से प्रभावित लोगों को छोड़कर अन्य प्रभावितों का नाम सूची में नहीं आता। जलाशय के भी बैकवाटर से प्रभावित लोगों का नाम सरकारी सूची में नहीं होता।

जीवन–यापन के लिए पर्याप्त खाद्यान्न या धन के अभाव में, परिवार अक्सर झुग्गियों में रहने लगते हैं या प्रवासी मजदूरों की तरह काम करते हैं।

भारत में टिहरी बांध बनाने के लिए विस्थापित हुए एक परिवार ने बताया कि, ''सरकारी अधिकारी ने हमें कहा, 'बड़े घर (राष्ट्र) के हित के लिए अपना छोटा घर छोड़ दो। हमारे घर एवं खेती की जमीन के बदले उन्होंने उचित मुआवजा देने का वादा किया था। लेकिन अब तक, हमें कुछ नहीं मिला, कोई नगद रकम नहीं। हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के पास अच्छी गुणवत्ता वाली दो–दो एकड़ जमीन थी, और जब हम नये गांव को गये तो हमें जमीन मिली सिर्फ उससे आधी एवं उसे बहुत खराब स्थिति वाली।''

डाउनस्ट्रीम में प्रभावित लाखो लोग

बांध के डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका को बांध ने बर्बाद कर दिया है। सबसे बड़ा असर तो मछली पकड़ने एवं खेती पर पड़ा है।

मात्सियिकी नष्ट बांध ने पानी के प्रवाह को बदलकर एवं मछलियों को बांध के अपस्ट्रीम में प्रजनन स्थल पर जाने में बांध द्वारा रोक लगाकर मात्स्यिकी को नष्ट कर दिया है। सामान्यतया मछलियों की संख्या में कमी आती है। कुछ प्रजातियां लुप्त हो जाती है। फलस्वरूप, लोग प्रोटीन एवं आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत को खो बैठते हैं। उनके पारंपरिक जीवन– शैली भी नष्ट हो सकते हैं।

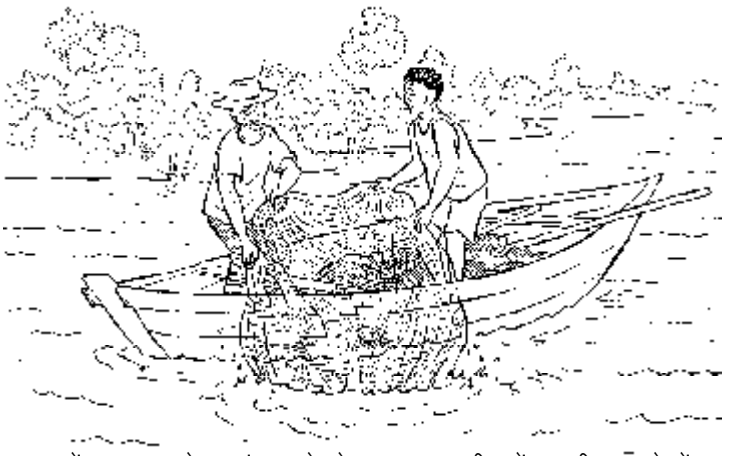

भारत में सरदार सरोवर बांध बनने के बाद डाउनस्ट्रीम में मछली पकड़ने में 60 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है। अब बहुत कम लोग मछली पकड़ते हैं।

फसलों में कमी लोगों को अपनी फसलों के नुकसान उठाना पड़ सकता है। पानी के प्रवाह में बदलाव से बांध के डाउनस्ट्रीम में नदियों के तट कट सकते हैं। कई बार लोगों के नदी के तट के बगान, जमीन एवं फसल नदी में बह जाते हैं। नदी में पानी का प्रवाह बरसात के बाद रुक जाता है और इससे नदी किनारे के क्षेत्रों में भूजल का रिचार्ज कम हो जाता है। पानी में प्रदूषण बढ़ जाता है और समुद्र का पानी भी अंदर के क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

नदियां महत्वपूर्ण पोषक तत्व एवं गाद लाती हैं जो कि बाढ़ के बाद जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। बांध इन पोषक तत्वों एवं गादों को डाउनस्ट्रीम में बहने से रोकते हैं। इन पोषक तत्वों के बगैर फसलों की पैदावार में कमी आ सकती है। लोगों को रासायनिक खाद खरीदना पड़ सकता है। यदि वह बहुत महंगा हुआ तो, लोग खेती करना बंद कर सकते हैं।

साफ पानी की कमी बांधों के डाउनस्ट्रीम में पानी अक्सर गंदा या प्रदूषित हो जाता है। यदि व्यक्ति एवं जानवर उस पानी को पीते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं, खासकर उस समय जब नदी में पानी का बहाव कम होता है। लोग यदि उस पानी में नहाते हैं तो उन्हें त्वचा में संक्रमण या खुजली हो सकती है। सिंचाई के लिए भी कम पानी उपलब्ध होता है।

अचानक पानी छोड़ने के कारण नुकसान कई बार बांध संचालक जलाशय से अचानक पानी छोड़ने का निर्णय लेते हैं। पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। नदी का उपयोग करने वाले लोगों को चेतावनी नहीं मिल पाती। पानी का तल बढ़ने से उनकी नौकाएं एवं मछली पकड़ने के औजार बह सकते हैं। कई मामलों में, लोग बह जाते हैं। अक्तूबर 2006 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सिंध नदी में आये तेज बहाव से करीब 40 श्रद्धलुओं की मौत हो गई। यह दुघर्टना सिंध नदी पर निर्मित मनिखेड़ा बांध द्वारा अचानक किसी चेतावनी के ही भारी मात्रा में पानी छोड़ने से नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ने के कारण हुई। एक अन्य घटना में अप्रैल 2005 में मध्य प्रदेश के ही देवास जिले में नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से करीब 65 से ज्यादा श्रद्धालुओं की पानी में बहकर मौत हो गई थी।

कम्बोडिया में से सान नदी पर याली फाल्स बांध बनने के बाद नदी में नहाने पर ग्रामीणों को संक्रमण एवं खुजली हो जाती है।

लिसोथो में समुदायों द्वारा गरीबी के खिलाफ संघर्ष

लिसोथो में कात्से बांध बनने से पहले, स्थानीय समुदाय पूरे साल फसल उगा सकते थे। वे कद्दू, मटर, फलियां, आलू एवं अन्य सब्जियां उगाते थे। उनके बड़े खेत दूसरों के लिए भी पर्याप्त खाद्यान्न पैदा कर सकते थे।

लेकिन उनके विस्थापित होने के बाद, समुदाय गरीब हो गये। मुआवजा एवं नयी आजीविका के वादे निभाये नहीं गये। यहां तक कि कुछ लोगों की मौत हो गई। कात्से बांध के लिए पुनर्वसित खोना मासेइपति का कहना है कि, ''पुनर्वास स्थल पर जीना बहुत कठिन है। हम हरेक चीज हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, यहां तक कि जंगली सब्जियों के लिए भी। मोलिकालिको (पूर्व स्थल) में, हमारे पास पूरे साल खाद्यान्न रहता था। यहां, हमे पूरे साल भूखे रहना पड़ता है।''

लिसोथों में समुदाय अब भी बेहतर मुआवजा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन लोगों ने बांध निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, अपनी चिंताओं को प्रकाशित किया है एवं प्रदर्शन आयोजित किये हैं। सन 2005 के उतरार्द्ध में, एक सरकारी अधिकारी ने समुदायों की हरेक मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। क्या ये नये वादे पूरे होंगे?

यदि आप यह सुनते हैं कि आपके इलाके में बांध बन सकता है, तो इस प्रकार की उदाहरणों को याद रखना महत्वपूर्ण है। सोचिए कि यदि आपके आस–पास बांध बन जाता है तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। कल्पना करें कि यह आपके परिवार, आजीविका, संस्कृति एवं समुदाय को कैसे प्रभावित करेगी।

चर्चा के लिए सवाल :

- बांध आपके समुदाय को किस तरह प्रभावित करेगा?
- क्या आपको विस्थापित होना पड़ेगा?
- यह आपकी आजीविका को किस तरह प्रभावित करेगा?
- क्या यह आपकी खेती या मछली पकड़ने को प्रभावित करेगा?
- यदि कोई मुआवजा या पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव किया गया है तो वह क्या है?
- प्रभावित लोगों को अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए एवं मांगों को रखने के लिए क्या अवसर दिये गये हैं?

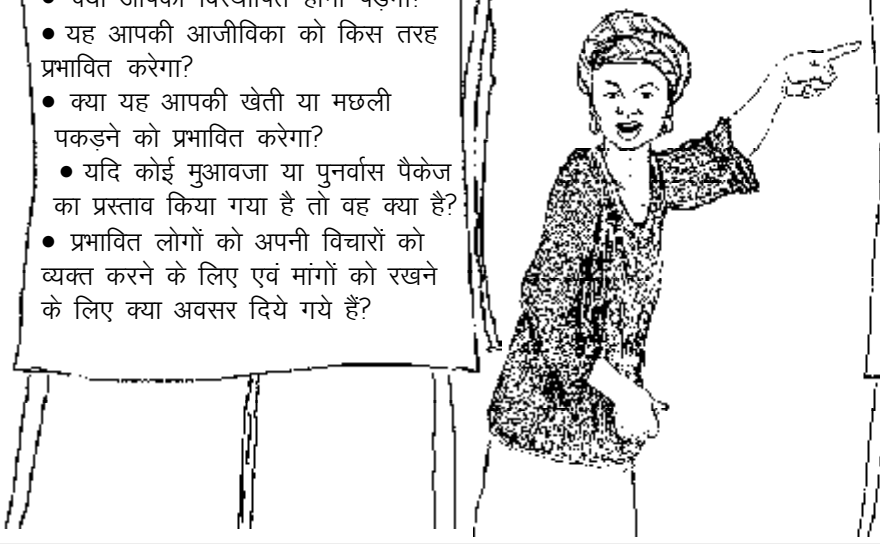

- क्या मुआवजा नये स्थल में आजीविका चलाके के लिए पर्याप्त है?
- क्या इसके लिए पर्याप्त कानूनी व्यवस्था है कि मुआवजा वास्तव में मिले?
- क्या तमाम विस्थापितों के सम्बन्ध में पुनर्वास की पूरी योजना और नीति जाहिर किये गये हैं?
- क्या सरकार ने अतीत में हुए विस्थापितों को न्याय दिलाया है?

अध्याय 3

विनाशकारी बांधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आन्दोलन

विश्व भर में लाखो लोग विनाशकारी बांध के खिलाफ संघर्ष करते हैं। पाकिस्तान में मछुआरे, थाइलैण्ड में किसान एवं ग्वाटेमाला में आदिवासी लोग बांधो के खिलाफ संघर्ष करते हैं। जापान में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं यूगाण्डा में मानवाधिकार स्वैच्छिक संगठन बांधों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। वे लोगों की आजीविका एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। उनके जीवन को प्रभावित करने वाली निर्णयों में लोगों की भागीदारी के अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं।

ये प्रयास तब ज्यादा प्रभावी होते हैं जब क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बनाकर लोग एक साथ काम करते हैं। आज, लैटिन अमेरिका, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका में बांध के खिलाफ संघर्ष करने वालों का नेटवर्क है। इन नेटवर्को में बांध प्रभावित लोग, जन आन्दोलन, स्वैच्छिक संगठन, शोधार्थी एवं अन्य समूह शामिल हैं। लोग जानकारी बांटने के लिए, संयुक्त गतिविधियां आयोजित करने के लिए एवं विनाशकारी बांधों को रोकने व लोगों की मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा हेतु एक साथ काम करने के लिए इन नेटवर्को का उपयोग करते हैं।

भारत में बड़े बांधों के खिलाफ हुए कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष हैं : कोयल कारो, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, बेडती, साइलैण्ट वैली, टिहरी, कोटली भेल, महेश्वर, ओंकारेश्वर, इन्द्रावती, भोपालपटनम, तिपाईमुख, सुबनसीरी, पोलावरम, अलायन दुहंगन, करछम वांगतू, बीसलपुर, डांडेली, अथिरापल्ली, बोधघाट इत्यादि।

बांध संघर्षकर्ताओं ने अनुभव बांटने के लिए एवं विनाशकारी बांधों के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए दो अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियां आयोजित की हैं। सन 1997 में, 20 देशों के प्रतिभागी ब्राजील में एक साथ मिले। दूसरी गोष्ठी थाइलैण्ड में सन 2003 में आयोजित हुई, जिसमें 61 देशों के 300 प्रतिभागी शामिल हुए। आन्दोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है।

बांध संघर्षकारियों की सफलताएं

बांध कम बन रहे हैं

विनाशकारी बांधों को रोकने में अंतरराष्ट्रीय आन्दोलन कुछ हद तक सफल रहा है। पहले के मुकाबले अब कम बांध बन रहे हैं। बांधों के जबरदस्त विरोध के कारण, यहां तक कि सरकारों ने बांध परियोजनाओं को रद्द भी किया है। उदाहरणतया : कोयल कारो (झारखण्ड), साइलेंट वैली (केरल), बेडती व डांडेली (कर्नाटक)। कुछ नदियों पर बांध न बनाने का फैसला भी किया गया है।

कुछ बांधों को हटाया गया है

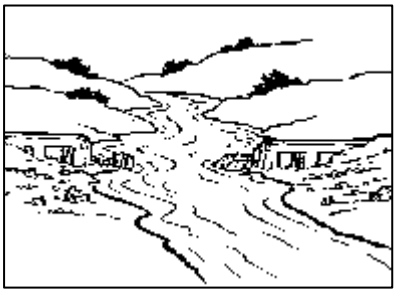

आज, अमेरिका एवं यूरोप में कई सालों पहले बने बांधों को डीकमीशन किया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है। नदियों का जीवन लौटाया जा रहा है। फ्रांस में, लाइरे एवं लेग्वेर नदियों पर कई बांधों को हाल के वर्षों में डीकमीशन किया गया है। बांधों को तोड़े जाने के बाद, नदियों का जीवन वापस आ जाता है। सालमोन एवं अन्य मछलियों ने नदी में फिर से ऊपर नीचे आना–जाना शुरू कर दिया है।

प्रभावित लोगों के अधिकारों को मान्यता

कई बांध प्रभावित लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सफलतापूर्वक संघर्ष किया। कुछ लोगों ने बेहतर मुआवजा हासिल किया। कुछ लोगों ने निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी की। और कुछ लोगों ने सिंचाई के लिए पानी एवं बिजली हासिल किया। भारत के उदाहरण : सरदार सरोवर, तवा, बरगी बांध।

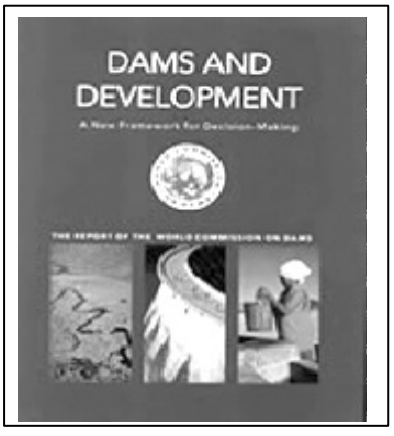

प्रभावित लोगों एवं उनके सहयोगियों के विरोध के कारण अब बांध निर्माण में सुधार लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश मौजूद हैं। ये दिशानिर्देश विश्व बांध आयोग (डब्ल्यूसीडी) द्वारा विकसित किये गये हैं। डब्ल्यूसीडी का कहना है कि प्रभावित लोगों की सहमति के बगैर कोई बांध नहीं बनना चाहिए। बांध निर्माताओं को प्रभावित लोगों के साथ क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि समझौता टूटता है तो, बांध का काम रुक जाना चाहिए एवं प्रभावित लोगों को बांध निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। कई सरकारों ने इन दिशानिर्देशों को नहीं अपनाया है, लेकिन बांध प्रभावित लोग अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए इन दिशानिर्देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बांधो के लिए कम रकम

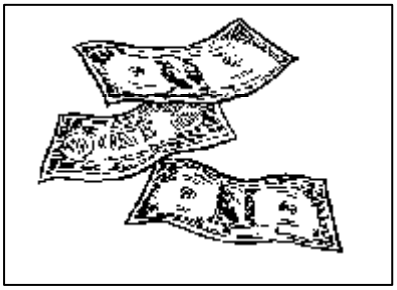

बांध बहुत खर्चीले होते हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया में सरकारें बांधों के लिए सार्वजनिक विकास बैंक एवं निजी बैंकों से रकम उधार लेते हैं। बीस साल पहले, इन वित्तपोषकों ने बांध निर्माण के लिए बहुत ज्यादा रकम दी है। आज, बड़े बांधों के जबरदस्त विरोध के कारण, वे इन परियोजनाओं के लिए कम रकम ऋण दे रहे हैं। इससे सरकारों के लिए बांध बनाना और कठिन हो गया है। भारत में महेश्वर बांध के खिलाफ संघर्ष ने कई सालों तक बांध के लिए आने वाले रकम को सफलतापूर्वक रोक कर बांध के काम को रोकने में सफलता पायी है।

राशि सलाई बांध – ग्रामीणों की विजय

सन 2000 में थाइलैण्ड के राशि सलाई बांध के फाटक हमेशा के लिए खोल दिये गये। यह बांध प्रभावित लोगों के लिए बड़ी विजय थी।
राशि सलाई बांध ने 15000 लोगों के खेतों को डुबो दिया था। उसने मछलियों के आवागमन के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया था एवं स्वैम्प के जंगलों को नष्ट कर दिया था। प्रभावित लोगों ने संघर्ष करने का निर्णय लिया। उनलोगों ने मांग की कि नदी को पुनर्जिवित करने के लिए एवं लोगों की आजीविका कायम करने के लिए बांध के फाटक को हमेशा के लिए खोल दिया जाय।

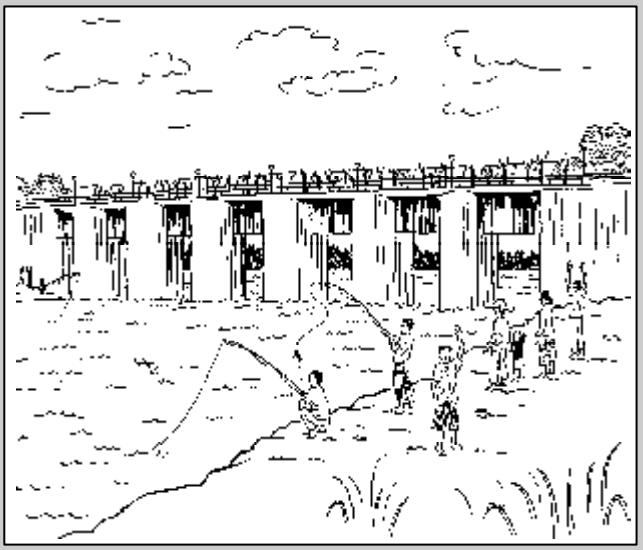

अपने मांगो के प्रति ध्यान आकर्षण के लिए उनलोगों ने जलाशय के इलाके में एक विरोध ग्राम का निर्माण किया। लोगों ने कहा कि बांध के फाटक खुलने तक वे वहां से नहीं हटेंगे। एक जगह तो विरोधकर्ता बढ़ते पानी से घिर गये थे। ऐसा कई सालों तक चला।

अंत में, ग्रामीणों की विजय हुई। थाईलैण्ड सरकार बांध के फाटक को खोलने के लिए सहमत हो गई। तब से, मून नदी के जीवन की वापसी हुई। अब लोग एक बार फिर नदी के किनारे फसल पैदा कर सकते हैं एवं मछली पकड़ सकते हैं। लोगों ने अपनी आजीविका फिर से हासिल की।

राशि सलाई आन्दोलन के एक नेतृत्वकर्ता, बप्पा कोंगथाम ने बताया कि, उसने बांध के डीकमीशन के लिए क्यों संघर्ष किया : ''दीर्घकाल में हमारे नाती–पोतों के मदद के लिए पर्यावरण को बचाना ही एकमात्र रास्ता है। इसिलिए मै आज उनके लिए यह कर रही हूं।''

सफलता..... लेकिन बांध से समुदायों को अब भी खतरा

ये बड़ी सफलताए हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विश्व भर के कई देशों में, सरकारे अब भी विनाशकारी बांध बना रही हैं। बहुत लोग आज भी बांधों एवं जलाशयों के लिए अपने घर एवं जमीन खो रहे हैं। कई शक्तिशाली सरकारों, बैंकों, कम्पनियों एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पास और बड़े बांध बनाने की योजनाएं हैं।

- हमें आवश्यकता है विनाशकारी बांध के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने की।
- हमें आवश्यकता है बांध प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ काम करने, एक–दूसरे को समर्थन करने एवं एक–दूसरे से सीखने की।

जब कई लोग बांध के खिलाफ एक साथ संघर्ष करते हैं तो, सरकारों एवं कम्पनियों के लिए बांध बनाना एवं समुदायों को नुकसान पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।

विनाशकारी बांधो के खिलाफ कैसे संघर्ष करें

बांधों के खिलाफ लड़ने एवं अपने अधिकारों के लिए लड़ने आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि बांधों एवं उसका आपके समुदायों पर क्या असर हो सकता है, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करें। अगले कदम के तौर पर यह तय करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं एवं उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। उसके बाद अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। इस तरह एक अभियान शुरू किया जा सकता है।

यह महत्वपूर्ण है कि अपने अभियान को जितना हो सके उतना जल्दी प्रारम्भ किया जाय। कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाही आप पूरे अभियान के दौरान कर सकते हैं, जिसमें शामिल है जानकारी लेना एवं वितरण करना, अपने समुदाय के अन्य लोगों को संगठित करना एवं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समूहों के साथ मिलकर काम करना।

कुछ देशों में, समुदाय सदस्यों एवं उनके परिवारों के लिए विनाशकारी बांध के खिलाफ संगठित होना खतरनाक हो सकता है। कई बार सरकारों या उनके बांध निर्माण योजना की आलोचना करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि जब आप अपनी अभियान रणनीति तय करते हैं तो इन जोखिमों के प्रति सजग रहें।

यह अध्याय आपको यह सुझाव देता है कि अपने अभियान रणनीति को किस तरह विकसित करें। यह उन कार्यवाहियों को रेखांकित करता है, जिसे आप पूरी बांध निर्माण प्रक्रिया के दौरान कर सकते हैं। अंत में, यह बांध निर्माण के तीन चरणों का वर्णन करता है एवं महत्वपूर्ण कदमों की पहचान करता है, जिसे आप हरेक चरण के दौरान कर सकते हैं।

हर साल 14 मार्च बांधों के खिलाफ एवं नदियों, जल व जीवन के पक्ष में कार्यवाही का अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है। विश्व भर में, सैकड़ों समूह विनाशकारी बांधों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, विजय सामारोह मनाते हैं एवं लोगों को प्रशिक्षित करने की कार्यवाही करते हैं। 14 मार्च को गतिविधियां आयोजित करके, आप संघर्ष एवं बड़े बांधों के अंतरराष्ट्रीय खिलाफत के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं।

अपने अभियान के लिए योजना बनाना

1. जानकारी इकट्ठा करें

यह समझना महत्वपूर्ण है कि बांध किस तरह आपके समुदाय एवं नदी पर असर डालते हैं। आप अपने समुदाय के सदस्यों से जानकारी इकटठा करने के लिए फील्ड सर्वेक्षण कर सकते हैं। स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय शोध ाार्थी एवं अन्य समूह भी आपको मदद कर सकते हैं। यहां पर उपलब्ध हैं विचार करने के लिए कुछ सवाल :

- बांध एवं जलाशय से कौन से गांव व जमीन प्रभावित होंगे?
- कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा?
- कितने लोगों से उनके मछली पकड़ने का इलाका एवं कृषिभूमि छीनी जाएगी?
- जमीनों, फसलों, घरों, एवं/या मछली पकड़ने का इलाका जो छीन जाएगा, उसकी कीमत क्या होगी?
- मुआवजा या पुनर्वास के तौर पर क्या प्रस्ताव किया जा रहा है?
- बांध कौन विकसित कर रहा है? सरकार, निजी कम्पनी या दोनो?
- कौन बांध के लिए पैसे दे रहा है?

भारत में बड़े बांध को पर्यावरण मंजूरी मिलने के पहले सम्पूर्ण पर्यावरण असर आकलन का अभ्यास करना, उसको सार्वजनिक करना, और उसके एक महीने बाद जनसुनवाई होना कानूनन जरूरी है। लोग इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं और कानून के उल्लंघन पर उचित कार्यवाही कर सकते हैं। जानकारी के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग भी कर सकते हैं।

2. आपके लक्ष्य क्या हैं?

आपके अभियान को संगठित करने के लिए अगला कदम है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें एवं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीति तैयार करें। कुछ विचारणीय बाते निम्नलिखित हैं :

- आप क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं?
- क्या आप विनाशकारी बांध को रोकना चाहते हैं?
- क्या आप योजना में बदलाव चाहते हैं?
- क्या आप बेहतर मुआवजा चाहते हैं?
- क्या आप समुदाय को प्रभावित करने वाले बांध के निर्णय में भागीदारी चाहते हैं?

यह सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य में आपके समुदाय की भागीदारी हो। आपके लक्ष्य को आपके अभियान में मांग के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर : ''पोलावरम बांध को रोको'' या ''इंदिरा सागर बांध प्रभावित समुदाय को ज्यादा मुआवजा दो!''

3. कौन आपके सहयोगी हैं एवं कौन आपके विरोधी हैं?

समन्वय बनाना अभियान रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सोचे कि आपके संघर्ष में कौन आपका मददगार हो सकता है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अपने समुदाय के अन्दर आम लोगों एवं अन्य समूहों के साथ आप कितना समर्थन जुटा सकते हैं।

यह भी समझ लें कि आपका विरोधी कौन है। उनकी क्या शक्तियां एवं कमजोरियां हैं? वे आपका विरोध करने के लिए क्या करेंगे? विरोधी अपने साथ अन्य समुदाय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों, बांध निर्माता कम्पनियों एवं वित्तपोषकों को शामिल कर सकते हैं।

4. आप किन लोग/संस्था को लक्ष्य बनाना चाहते है?

सोचिए कि आप जो चाहते हैं उसे आपको कौन दे सकता है। बांध के बारे में निर्णय कौन तय कर रहा है? वे सरकार के अधिकारी हो सकते हैं। वे बांध निर्माता कम्पनी हो सकते हैं। या वे बांध के वित्तपोषक हो सकते हैं, जैसे कि विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक। ये आपके लक्ष्य हैं। आपके किस लक्ष्य को प्रभावित या प्रेरित करना सबसे आसान है? यदि आपकी सरकार ज्यादा जनतांत्रिक नहीं है तो, बांध वित्तपोषकों या बांध निर्माता को प्रभावित या प्रेरित करना आसान हो सकता है।

5. आपकी कौन सी रणनीति आपके लक्ष्य की मानसिकता बदलेगी?

उनकी मानसिकता को बदलने के लिए एवं आपके मांग के समर्थन के लिए आपके लक्ष्य को कौन सी बात संतुष्ट कर सकती है। क्या विरोध करना प्रभावी होगा? क्या मीडिया की रिपोर्ट उनकी मानसिकता बदलेगी? क्या आपके संसद या विधायिका में कार्यवाही प्रभावी होगी? सामान्यतया एक से अधिक कार्यवाहियों का समन्वय सबसे ज्यादा सफल होता है। कार्यवाहियों को समय के अनुरूप सूचीबद्ध करें। यह सुनिश्चित करें कि हरेक व्यक्ति इसे समझता हो, जो कि प्रत्येक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार हैं। यह आपकी अभियान रणनीति है।

6. आपके अभियान के लिए आप कैसी वित्तीय मदद चाहते हैं?

हरेक अभियान के लिए संसाधन की जरूरत होती है, चाहे वह यात्रा एवं प्रदर्शन आयोजित करने के लिए मदद हो, या कम्प्यूटर एवं ईमेल देखने के लिए हो, या टेलीफोन, या फिर अभियान सामाग्रियों को छपवाना हो। कई समूह अपने समुदाय सदस्यों के दान पर निर्भर होते हैं। वित्तपोषण के अन्य स्रोतों में फाउंडेशन, सहायता एजेंसियां एवं आपके देश में अन्य लोग शामिल हैं। यदि आपको वित्तीय मदद जुटाने में सहायता की आवश्यकता है तो, अपने देश में कुछ बड़ी स्वैच्छिक संगठनों से सम्पर्क करने का प्रयास करें। उनके पास धन जुटाने के सुझाव हो सकते हैं।

आपके अभियान रणनीति के बारे में अपने समुदाय में चर्चा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति उसे समझे व सहमत हो।

बांधों के खिलाफ लड़ने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियां

बांध निर्माण प्रक्रिया के हरेक चरण पर कुछ रणनीतियां प्रभावी हो सकती हैं। यहां पर कुछ कार्यक्रम के बारे में विचार दिए जा रहे हैं जिसे आप पूरे अभियान के दौरान कर सकते हैं।

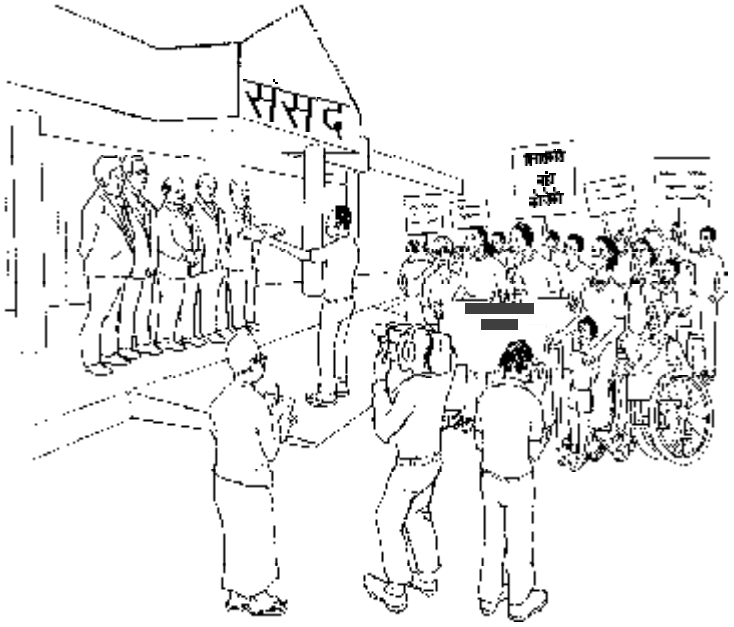

लोगों को संगठित व संयोजित करें

आपके संघर्ष के समर्थन के लिए प्रभावित एवं आम लोगों को संगठित एवं संयोजित करें। आपके अभियान की सफलता कई लोगों को एकताबद्ध करने में निहित होती है। सरकारें एवं बांध निर्माता कई बार समुदाय के सदस्यों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगी। शीघ्र ही आपके समुदाय के मजबूत एवं एकताबद्ध होने से, बांध निर्माताओं द्धारा आपको आपस में बांटना मुश्किल होगा।

लोगों को संगठित करने का एक तरीका है अपना संगठन बनाना। आप एक नेटवर्क बनाने के लिए अन्य संगठनों को भी जोड़ सकते हैं। पता करें कि क्या आपके देश में बांधों पर कोई राष्ट्रीय या अन्य नेटवर्क है। आपकी अभियान रणनीति तय करने के लिए गोष्ठी आयोजित करें एवं कार्यवाही करने के बारे में चर्चा करें। स्वैच्छिक संगठनों, अकादमिकों, शोधार्थियों, वकीलों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ समन्वय बनाएं। आपके संघर्ष के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्रकार वार्ता, यात्राएं, प्रदर्शन, हड़ताल, बहिष्कार एवं चक्काजाम इत्यादि आयोजित करें। यदि आप बांध के बारे में निर्णय लेने वाली संस्थाओं को लक्ष्य करते हैं तो ये कार्यवाहियां काफी सफल होती हैं। कस्बों एवं शहरों में सार्वजनिक गोष्ठियां आयोजित करें।

जानकारी वितरित करें

आपके समुदाय पर बांध एवं बांध के संभावित असर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्चा, पोस्टर, रिपोर्ट एवं अन्य सामाग्री तैयार करें। ये सामाग्रियां प्रभावित लोगों, आम जनता, देश भर में पर्यावरणीय एवं मानवाधिकार समूहों एवं सरकारी एजेंसियों को वितरित की जा सकती हैं। आपके मांग को प्रचारित करने का यह अच्छा तरीका है।

जनमाध्यमों के साथ कार्य करें

रेडियो, समाचारपत्रों एवं टेलीविजन का इस्तेमाल करते हुए अपने संदेशों को प्रचारित करें। ये सरकारों एवं बांध निर्माताओं द्वारा आपके मांगों को सुनने के लिए एवं दबाव बनाने में सहायक होंगे। जिन पत्रकारों ने अतीत में इन सम्बन्धित मुद्दों पर लिखा है, उन्हें बुलाए एवं अपनी बातें बताएं। एक प्रेस सम्मेलन आयोजित करें। आपकी गतिविधियों के लिए जन माध्यमों को बुलाएं। पत्रकारों को अपने संघर्ष के बारे में जानकारी देते रहें। अपने संदेशों को विभिन्न तरीके से प्रचारित करने में मदद करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों एवं अन्य समर्थन समूहों से सम्पर्क करें।

सरकारों एवं वित्तदाताओं को प्रभावित करें

अपनी आशंकाओं के बारे में बताने के लिए निर्णयकर्ताओं से मिलें। आपकी मांगों के समर्थन के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय सरकारी अधिकारियों, एवं संसद सदस्यों या विधायकों को समझाएं। आपके सरकार में निणर्यकर्ताओं एवं बांध के वित्तपोषकों को लक्ष्य करने के लिए पत्र लेखन एवं याचिका देने का अभियान आयोजित करें। यदि बांध किसी निजी बैंक या सार्वजनिक विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है तो इन वित्तपोषकों को लक्ष्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर काम करें।

कानूनी कार्यवाही करें

कई बार बांधों के निर्माण को आगे टालने या रोकने या प्रभावित समुदायों को बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए कानूनी कार्यवाही का इस्तेमाल किया जा सकता है। वकील से सम्पर्क करें एवं यह पता करें कि क्या बांध निर्माता कोई कानून तोड़ रहे हैं। कई वकील और बड़ी कानूनी कंपनी अच्छे उद्देश्य के लिए मुफ्त में कार्य करेंगी।

विकल्पों का प्रस्ताव करें

बांधों के विकल्पों के बारे प्रस्ताव करने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने का प्रयास करें। (ज्यादा जानकारी के लिए अध्याय 5 देंखें।)

लोगों के विरोध से कोयल कारो परियोजना रद्द

भारत के झारखण्ड राज्य (नवम्बर 2000 से पहले बिहार राज्य का हिस्सा) में कोयल कारो बांध परियोजना की रूपरेखा 1973 में तैयार हो चुकी थी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कोयल एवं कारो नदी पर दो अलग अलग बांध बनाकर 710 मेगावाट बिजली बनाने की योजना थी। सन 1974 में परियोजना का काम चालू होने पर स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए निर्माण रोक दिया। परियोजना के अलग–अलग संघर्षों को आपस में मिलाकर सन 1975–76 में 'कोयल कारो जन संगठन' गठित हुआ। जन संगठन ने एक प्रस्ताव परित करके 1978 में काम रोको अभियान शुरू किया। कोयल कारो जन संगठन के अनुसार इस परियोजना के बनने से 256 गांवो से 150000 लोगों के विस्थापित एवं 50000 एकड़ जमीन डूबने की आशंका है। यह पूरा इलाका घने जंगलो से युक्त आदिवासी बाहुल्य इलाका है।

सन 1980 में परियोजना एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन) के हाथ में आ गई। एनएचपीसी अधिकारियों ने परियोजना का काम प्रारम्भ करने की बहुत कोशिश की। लेकिन जन संगठन विस्थापितों के पूर्ण पुनर्वास होने तक काम आगे न बढ़ने देने पर अड़ा रहा। जुलाई 1984 में परियोजना स्थल के आस–पास भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। महिलाओं ने वहां पर पुलिस बल का जमकर विरोध किया, अंततः एक माह बाद पुलिस बल को वापस जाना पड़ा।

अगस्त 1984 में कुछ प्रभावितों ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की। सितम्बर 1984 को न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक सरकार न्यायालय द्वारा जारी शर्तों का पालन नहीं करती, परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती। स्थानीय लोगों ने परियोजना से सम्बन्धित लोगों के आवाजाही पर निगरानी के लिए सन 1985 में डेरांग में एक नाका लगा दिया। इसी वर्ष जनसंगठन एवं एनएचपीसी के बीच आपस में समझौता हुआ कि एनएचपीसी एक गांव को आदर्श गांव के तौर पर बसाएगी। लेकिन वह गांव आज तक नहीं बसाया जा सका, इससे लोगों का एनएचपीसी पर विश्वास नहीं रह गया। सन 1991 में सरकार ने परियोजना के लिए एक नयी पुनर्वास योजना की घोषणा की तो, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पहले लोगों का पुनर्वास करो तब परियोजना का काम आगे बढ़ाओ। जबकि 1990 के बाद से ही जनसंगठन ने परियोजना के लिए जमीन नहीं देने की घोषणा कर दी थी।

सन 1995 में सरकार ने एक बार फिर परियोजना काम आगे बढ़ाने की घोषणा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव द्वारा 5 जुलाई 1995 को परियोजना का शिलान्यास किया जाना था। लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वह कार्यक्रम रद्द हो गया। 1 फरवरी 2001 को पुलिस ने लोगों द्वारा निगरानी के लिए लगाए गये नाके को तोड़ दिया। जब स्थानीय लोग अगले दिन स्थानीय तपकरा पुलिस स्टेशन में नाका तोड़े जाने के कारण पूछने के लिए एकत्र हुए तो, निहत्थे लोगों पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी। इस नृशंस घटना में 8 आदिवासी लोग मारे गये। स्थानीय लोगों ने परियोजना को अगले दो वर्षो तक रोके रखा। इतने उतार–चढ़ाव के बाद परियोजना की लागत बढ़कर पांच गुना हो चुकी थी। आखिरकार भारत सरकार ने सन 2003 में इस परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया। जबकि एनएचपीसी ने अभी भी इसे भविष्य में बनाए जाने वाले परियोजना की श्रेणी में रखा है। स्थानीय लोग अभी भी सजग हैं।

पिलार बांध को रोकने के लिए ब्राजीलवासी संगठित

नब्बे के दशक में शक्तिशाली विदेशी कम्पनियों ने ब्राजील के मिनास गेराइस राज्य में पिरंगा नदी पर एक बांध बनाना चाहा। बांध से 133 किसान परिवार विस्थापित होंगे एवं मात्स्यिकी नष्ट हो जाएगी। नदी के जल स्तर में बदलाव होने से डाउनस्ट्रीम में हजारो लोग प्रभावित होंगे।

स्थानीय निवासी, एक स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय शोधार्थी एवं गिरजाघर समूहों ने पिलार बांध के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक समन्वय बनाया। लोगों ने यह पता करने के लिए एक साथ काम किया कि बांध से उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। लोगों ने कम्पनियों के अध्ययनों को पढ़ा, जिसमें कई समस्याएं दिखीं। लोगों ने इन जानकारियों के बारे में सरकारी अधिकारियों से चर्चा की, वे भी बांध के पर्यावरणीय असर के बारे में चिंतित थे।

सवैच्छिक संस्था एवं शोधार्थीयों ने बांध की जन सुनवाई की तैयारी के लिए पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में समुदाय को विस्तार से बताया। उनलोगों ने किसानों की जमीन, आजीविका एवं संसाधनों के बारे में उनके अपने विचारों को सरकारी अध्ययनों में प्रस्तुत अध्ययनों से तुलना करने में मदद की।

समुदाय जन सुनवाई के लिए पूरी तरह संगठित था। बच्चों ने पीरंगा नदी के बारे में कविताएं पढ़ी एवं निवासियों ने कम्पनियों को ''वापस जाओ'' की तख्तियां दिखायी। समुदाय नेताओं ने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए कड़े वक्तव्य दिए। स्थानीय निवासियों का दबाव, कम्पनियों के पर्यावरणीय असर आकलन अध्ययन की आलोचना, एवं सरकारी अधिकारियों की आशंकाओं ने कम्पनियों को बांध परियोजना रद्द करने को बाध्य किया।

जब एक कम्पनी ने कई सालों बाद उस इलाके में नया बांध बनाने का प्रयास किया तो लोगों ने फिर कहा ''नहीं''। जब कम्पनी बांध बनाने के लिए नाप–जोख का काम कर रही थी तो लोगों ने उस स्थल पर कब्जा कर लिया। आखिर 43 दिनों बाद कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञ वहां से हट गए। जरूरत पड़ने पर समुदाय के लोग फिर से विरोध करने के लिए तैयार हैं।

थाइलैण्ड के ग्रामीणों की शोध प्रक्रिया

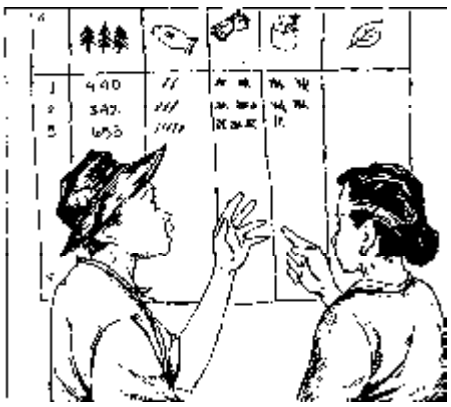

थाइलैण्ड–बर्मा की सीमा में सालवीन नदी के पास निवासरत लोग पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा नदी पर बांध बनाए जाने के निर्णय के खिलाफ संघर्षरत हैं। उनलोगों ने स्थानीय ज्ञान के आधार पर यह शोध करके उन्हें दस्तावेजीकरण करने का निर्णय लिया कि वे किस तरह नदी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ढाई सालों से, थाइलैण्ड के 50 गांवों के कैरेन जनजातीय लोगों ने मात्स्यिकी, पारंपरिक मछली पकड़ने के औजारों, जड़ी–बूटियों, सब्जियों के बागों एवं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आंकड़े एकत्र किए है। हलांकि स्वैच्छिक संस्थाओं के सदस्यों एवं कार्यकताओं ने उन्हें आंकड़ों को एकत्र करने एवं रिपोर्ट लिखने में मदद की, लेकिन समुदाय के सदस्य ही प्राथमिक शोधार्थी थे। ग्रामीणों ने नदी में कई मछलियों, जड़ी–बूटियों एवं खाद्य पदार्थो की पहचान की, जिन पर वे अपनी भोजन हेतु निर्भर हैं। ग्रामवासी अपने शोध को यह साबित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि उनके जीवन के लिए नदी एवं जंगल कितने उपयोगी हैं।

शोध कैसे करें

पहला कदम : उन सबके साथ एक गोष्ठी आयोजित करें जो शोध का हिस्सा बनना चाहते हों। जितना ज्यादा हो सके उतने प्रभावित गांवों के लोगों को आमंत्रित करें। उन सबके बारे में चर्चा करें जिनसे आपकी आजीविका नदी पर निर्भर हैं, एवं निर्णय करें कि आप क्या शोध करना चाहते हैं।

दूसरा कदम : शोध अध्ययन करने के लिए लोगों को समूहों में बांटे। समूह में उन लोगों को शामिल करना चाहिए, जो कि अध्ययन किए जाने वाले विषयों के विशेषज्ञ हों या उनको उस विषय में रुचि हो। उदाहरण के तौर पर, मछली के बारे में शोध मछुआरों द्वारा किए जाने चाहिए, एवं सब्जी पैदा करने वालों द्वारा नदी तट के बागानों का शोध किया जाना चाहिए।

तीसरा कदम : तय करें कि आप शोध हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं। प्रस्तुत हैं कुछ विचार :

मात्स्यिकी : नदी को क्षेत्रों में बांटे। हरेक क्षेत्र के शोध के लिए मछुआरों के एक समूह को नियुक्त करें। प्रत्येक बार मछली पकड़ने के बाद, प्रजातियों का नमूना एकत्र करें। एक गोष्ठी आयोजित करें ताकि लोग प्रत्येक प्रजातियों को उसके स्थानीय नाम से पहचान सकें। उनके निवास, विचरण प्रवृत्ति, आकार, वजन एवं प्रजनन प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करें। यदि आपके पास कैमरा है तो, पकड़े गये प्रत्येक प्रजातियों का एक फोटो खींचे। फोटो को एक नोटबुक में चिपकाएं एवं फोटों के नीचे उनके बारे में समस्त जानकारी लिखें।

नदी तट के बागान : नदी को क्षेत्रों में बांटे। प्रत्येक क्षेत्रों में, नदी तट पर घूमें एवं प्रत्येक नदी तट के बागानों का नाप–जोख करें। पता करें कि प्रत्येक बागान का मालिक कौन है, प्रत्येक व्यक्ति बागान में क्या उगाता है एवं वे सब्जियों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं (उदाहरण के तौर पर खाने के लिए या बेचने के लिए)। यदि सब्जियां बाजार में बेची जाती हैं, तो यह लिखें कि उन्हें बेचने से उनको कितना पैसा मिलता है।

चौथा कदम : अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करें। यह तय करें कि निर्णयकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए कैसे उनका उपयोग किया जाय।

बांध बनने के हरेक स्तर पर आप क्या कर सकते हैं

यह हिस्सा बांध बनने के तीन चरणों एवं उन खास कार्यवाहियों के बारे में वर्णन करता है जिसे आप हरेक चरण में कर सकते हैं। बांध निर्माण के तीन प्रमुख चरण होते हैं निर्माण पूर्व, निर्माण के दौरान एवं संचालन।

चरण 1 : निर्माण पूर्व

अवधि : 2 से 20 साल या ज्यादा।

इस चरण में क्या होता है?

जब बांध का निर्माण होता है उससे पहले, बांध निर्माता योजना बनाते हैं एवं यह जानने के लिए कि बांध बनाना संभव है या नहीं, वे कई अध्ययन पूरा करते हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि बांध का क्या असर हो सकता है। ज्यादातर अध्ययन सरकारी या विदेशी कम्पनियों द्वारा किए जाते हैं।

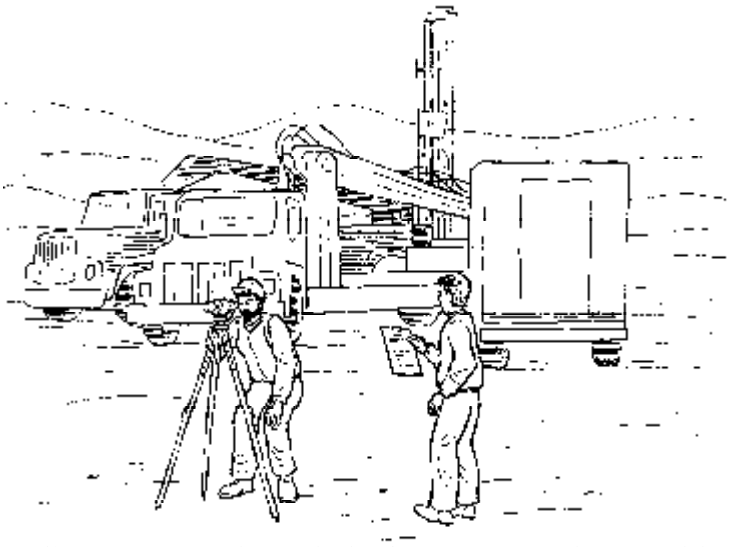

सर्वेक्षक एवं जमीन बोर करने के औजार अक्सर पहले सूचक होते हैं कि आपके इलाके में बांध निर्माण की योजना बनाई जा रही है।

1. पूर्व संभाव्यता अध्ययन : यह अध्ययन सुनिश्चित करता है कि बांध बनाया और संचालित किया जा सकता है। यह तय करता है कि चयनित स्थल बांध निर्माण के लिए उचित है या नहीं, यह आकलन करता है कि कितना बिजली एवं पानी पैदा किया जा सकता है एवं बांध के लागत का आकलन करता है।
2. संभाव्यता अध्ययन एवं विस्तृत डिजाइन : यह अध्ययन बांध निर्माण के लिए जरूरी जानकारियों पर ध्यान देता है, जैसे कि मौसम, भूगर्भीय स्थिति, एवं नदी में कितना पानी है, आदि। यदि आप अपने इलाके में बाहरी लोगों को नाप–जोख एवं जमीन में बोर करते हुए देखें तो संभव है वे संभाव्यता अध्ययन कर रहे हों। बांध बनाने के लिए कितनी सामग्री चाहिए, यह कहां से आएगी, व बांध का लाभ–हानि का लेखा–जोखा भी इसका हिस्सा होते हैं।
3. पर्यावरण असर आकलन (इआईए) : बांध के पर्यावरणीय असर को जानने के लिए इआईए अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन बांध के कारण होने वाले पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने के उपाय एवं पर्यावरण प्रबंध योजना भी सुझाता है। इआईए सामान्यतया कहती हैं कि ज्यादातर असरों को कम किया जा सकता है एवं बांध बनाया जाना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वास्तव में इआईए निर्णय प्रक्रिया का भाग होना चाहिए और इआईए प्रक्रिया के अंत में बांध नहीं बनने का जवाब भी एक संभावित विकल्प होना चाहिए। पहले लिखा है उसके मुातबिक भारत में बड़े बांध के लिए पर्यावरण मंजूरी मिलने के लिए इआईए सार्वजनिक होने के एक महीने बाद जनसुनवाई कानूनन आवश्यक है।

   भारत में केरल में चालकुडी नदी पर प्रस्तावित अथिरापल्ली बांध को वहां के समुदाय ने कई सालों से रोककर रखा है, क्योंकि उसका इआईए अपूर्ण था एवं जनसुनवाई में कानून का उल्लंघन हुआ था।
4. पुनर्वास योजना/सामाजिक विकास योजना : इसके अर्न्तगत उनलोगों के लिए पुनर्वास योजना शामिल होती है, जो जलाशय के इलाके में रहते हैं। इसमें अन्य प्रभावित लोगों के क्षतिपूर्ति के बारे में भी योजना शामिल होती है। बांध के डाउनस्ट्रीम में रहने वाले प्रभावित लोग अक्सर इस योजना में छोड़ दिये जाते हैं।

जब ये अध्ययन हो जाते हैं तो बांध निर्माता सरकारों एवं बैंकों से मिलकर बांध निर्माण के लिए रकम जुटाने का प्रयास करते हैं।

इस चरण में आप क्या कर सकते हैं?

बांध परियोजना को प्रभावित करने का यह सबसे अच्छा समय होता है। यदि आपको लगता है कि बांध आपके समुदाय को गंभीर व व्यापक नुकसान पहुंचाएगा और न्यायपूर्ण पुनर्वास की संभावना नहीं है तो बांध को रोकने का प्रयास करें। यह जानकारी करें कि स्थानीय कानूनों के अंतर्गत आपके क्या अधिकार है। मांग करें के सरकार जनसुनवाई आयोजित करे, ताकि आप इस पर चर्चा कर सकें कि बांध से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। जनसुनवाई के पहले बांध से संबन्धित दस्तावेज स्थानीय भाषा में उपलब्ध होने का आग्रह रखें। बांध को रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही करने की कोशिश करें। बेहतर विकल्प विकसित करने या मुआवजा योजना तय करने के लिए विशेषज्ञों के साथ काम करें एवं उन्हें प्रचारित करें।

यदि बांध को रोकने का आपका अभियान सफल हो जाता है तो, सरकार बाद में फिर उसे बनाने का प्रयास कर सकती है। लम्बी अवधि तक संघर्ष के लिए मजबूत समन्वय बनाना महत्वपूर्ण होता है।

बांध अध्ययनों की समीक्षा करें

यह मांग करें कि अध्ययन सार्वजनिक तौर पर और स्थानीय भाषा में जारी किए जाएं। यदि आप अध्ययनों की प्रतियां हासिल करने में सफल होते हैं तो, उसकी समीक्षा के लिए विशेषज्ञ तलाश करें एवं उनके समीक्षाओं को प्रकाशित करें। कई विशेषज्ञ इन समीक्षाओं को मुफ्त में करेंगे। विशेषज्ञों की समीक्षाएं अध्ययनों की समस्याओं को पहचान सकती है एवं यह अनुमान कर सकती हैं कि बांध बनने से क्या नुकसान हो सकता है।

अपने अध्ययन करें

अक्सर बांध उन जरूरी अध्ययनों के बगैर बनाए जाते हैं जो कि यह दिखाती है कि लोग नदियों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं और बांध के अलावा भी विकल्प मौजूद हैं। यदि बांध बनाए जाते हैं, तो इसकी कम ही उम्मीद रहती है कि लोगों को पूरा मुआवजा मिले, क्योंकि इसके कोई रिकार्ड मौजूद नहीं होते कि उन्होंने क्या खोया है। यह आंकड़ा जुटाना महत्वपूर्ण होता है कि आपका समुदाय नदी पर किस तरह निर्भर है। ये जमीनी सर्वेक्षण यह भी उजागर कर सकते हैं कि बांध से कितना नुकसान हो सकता है। थाइलैण्ड में ग्रामीणों ने इसके लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। (पृष्ठ 26 देखें)

वित्तदाताओं को लक्ष्य करे

पता करें कि कौन बांध के लिए पैसा देने वाला है। यदि वित्तपोषक किसी अन्य देश के हैं तो, उन देशों में स्वैच्छिक संस्थाओं से सम्पर्क करके आपके अभियान को समर्थन का आग्रह करें। इस गाइड के अंत में सम्पर्कों की सूची देखें।

कानूनी समझौतों की मांग करें

यदि आप आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो, सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया जाय, जिसमें आपको वादा की गई हर बात शामिल हो। सुनिश्चित करें कि आप समझौते को समझते हों। ऐसी किसी चीज पर हस्ताक्षर न करें जो आपकी समझ में न आए। सरकार एवं बांध निर्माता अक्सर आपको कहेंगे कि आपको नया घर एवं अच्छी जमीन मिलेगी, लेकिन यह शायद ही कभी सही होता है।

ऐसी किसी चीज पर हस्ताक्षर न करें जो आपकी समझ में न आए!

चरण 2 : निर्माण के दौरान

अवधि : 5 से 25 साल। निर्माण में अक्सर अनुमान से ज्यादा समय लगता है। ऐसा कई बार बांध संबन्धी अध्ययन अधूरे होने के कारण, कभी तकनीकी दिक्कतों के कारण, एवं कई बार भ्रष्ट्राचार के कारण होता है।

इस चरण में क्या होता है?

एक बांध की निर्माण प्रक्रिया इस प्रकार होती है :

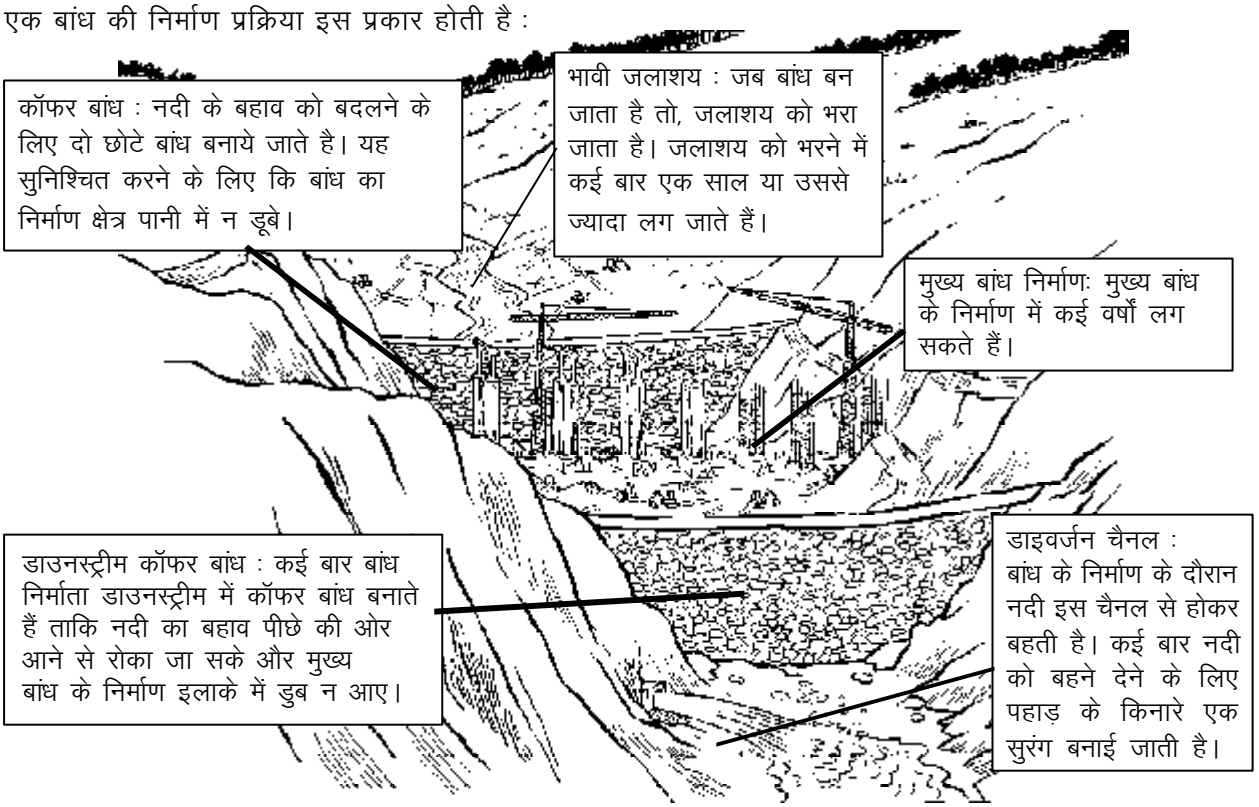

आप इस चरण में क्या कर सकते हैं?

यदि बांध का निर्माण प्रारम्भ हो चुका हो तो भी आपका अभियान सफल हो सकता है। आप निर्माण रोकने, ज्यादा मुआवजा हासिल करने, या परियोजना को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। आपके संघर्ष को जारी रखना काफी महत्वपूर्ण होता है।

प्रदर्शन आयोजित करें

इस चरण में, कुछ समूह निर्माण स्थल की राह में रोक लगाकर या अहिंसात्मक सीधी कार्यवाही करके निर्माण को रोकने का प्रयास करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो निर्माण एवं पुनर्वास की निगरानी करें। यदि बांध निर्माता या सरकार वह नहीं करती हैं जो उन्होंने करने के लिए वादा किया था तो, यह मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन या अन्य कार्यवाही करें कि वे अपने वादे को पूरा करें।

अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ कार्य करें

यदि बांध सार्वजनिक विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तो, अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ काम करें ताकि वित्तदाता से बांध के समस्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। यदि बांध निर्माता निर्माण या पुनर्वास ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो कई बार ये वित्तदाता पर दबाव डाल सकते हैं। यदि स्थिति वास्तव में बहुत खराब है तो, वित्तदाता स्थिति में सुधार होने तक वित्तपोषण रोक सकते हैं। सरदार सरोवर योजना में नर्मदा बचाओ आन्दोलन के विरोध के कारण जापान सरकार तथा विश्व बैंक को देने वाले कर्ज को रद्द करना पड़ा था, जो कि एक ऐतिहासिक विजय था।

चरण 3 : संचालन

अवधि : करीब 50 साल (कई बार ज्यादा, कई बार कम)।

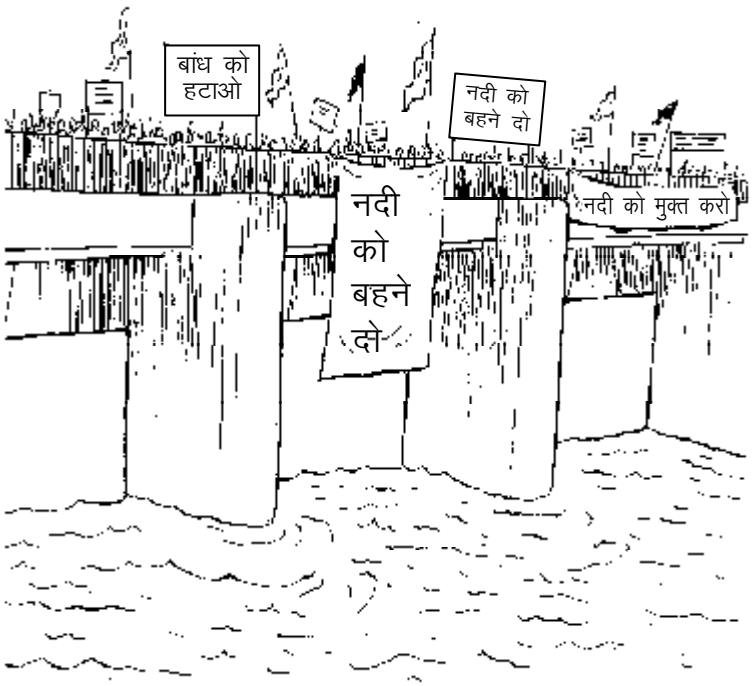

इस चरण में क्या होता है?

बांध के बन जाने के बाद उसकी उम्र सीमा शुरू हो जाती है। कुछ जलाशय जल्द ही गाद से भर जाते हैं। कुछ बांध असुरक्षित या टुट सकते हैं। जब बांध एक बार अपनी उम्र पूरा कर लेता है तो उसे नवीनीकरण या डीकमीशन करने की आवश्यकता होती है। लोगों एवं नदियों पर बांधो के असर के कारण विश्व भर में बहुत सारे समूह मांग कर रहे हैं कि बांधों को डीकमीशन किया जाय। भारत में त्रिपुरा राज्य में गुमती बांध को डीकमीशन करने की मांग कुछ सालों से बलवती होती जा रही है।

आप इस चरण में क्या कर सकते हैं?

क्षतिपूर्ति की मांग करें

यदि बांध बन भी जाता है तो, कुछ कम्पनियों एवं सरकारों पर यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वे क्षतिपूर्ति प्रदान करें। आपको शोध करना चाहिए कि क्या यह आप पर लागू होता है।

बांध से प्रभावित विश्व भर में कई लोग अतीत में हुए नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति या मुआवजा की मांग कर रहे हैं वे मांग कर रहे हैं कि जिन एजेंसियों (सरकारों, बैंकों एवं कम्पनियों) ने बांध बनाया है वे बांध से होने वाले असरों की जिम्मेदारी लें एवं प्रभावित समुदायों को क्षतिपूर्ति प्रदान करें। कुछ सफल हुए हैं। (अगले पृष्ठ पर बॉक्स देखें।)

बांध संचालन में बदलाव की मांग करें

नदी को फिर से ज्यादा प्राकृतिक तरीके से बहने देने के लिए आप बांध के संचालन में बदलाव की मांग भी कर सकते हैं। इसे बांध पुनः–संचालन कहा जाता है। इसमें दिन के अलग–अलग समय में बिजली उत्पादन की मात्रा में बदलाव शामिल हो सकता है। या इसका मतलब हो सकता है बांध के डाउनस्ट्रीम में ज्यादा पानी छोड़ना। विश्व भर में कई समूह बांध के पुनः–संचालन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में नियम बनाया है कि राज्य के तमाम बांध के ठीक नीचे नदी में पूरे साल नदी में बांध बनने से पहले जो न्यूनतम प्रवाह बहता था उसका 15 प्रतिशत या उससे ज्यादा पानी छोड़ा जाना चाहिए।

ग्वाटेमाला में क्षतिपूर्ति की मांग

जब ग्वाटेमाला में गृह युद्ध जारी था तो, सरकार ने माया आची क्षेत्र में चिक्सॉय बांध का निर्माण कर दिया। माया आची जनजातीय लोग हैं। कुछ लोगों द्वारा बांध के लिए विस्थापित होने से इनकार करने पर, अर्द्धसैनिक बलों ने 1982 में 400 लोगों को मार गिराया था। करीब 3500 से ज्यादा लोगों को अपनी जमीन छोड़ने को बाध्य होना पड़ा था। हजार से ज्यादा लोगों को जमीन एवं आजीविका से वंचित होना पड़ा था।

वर्षों तक, पीड़ीत लोग घोर गरीबी में रहे। लेकिन उनलोगों ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई को कभी नहीं छोड़ा। प्रभावित लोग अब अपने सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक नुकसानों की भरपायी के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं।

कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं एवं शोधार्थियों के साथ मिलकर प्रभावित समुदायों ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसमें पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, गरीबी एवं खाद्य आपूर्ति में बांध के असर को दस्तावेजीकरण किया गया है। इस अध्ययन ने यह दिखाने में मदद की कि माया आचि समुदाय ने क्या खोया है और वे क्षतिपूर्ति के हकदार क्यों हैं।

नवम्बर 2004 में, समुदाय ने बांध स्थल पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। बांध पर दो दिन कब्जे के बाद, सरकार क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए एक आयोग गठित करने पर राजी हुई। आयोग की पहली बैठक दिसम्बर 2005 में हुई।

नरसंहार के पीड़ीतों में से एक क्रिस्टोबल ओसोरियो सांचेज का कहना है कि, ''क्षतिपूर्ति हमारे आत्मसम्मान को कायम करने में मदद करता है एवं हमारी संस्कृति एवं हमारे अधिकार का सम्मान करता है। क्षतिपूर्ति का मतलब हम अपने परिवार का पोषण करने व फिर से बेहतर ढंग से रहने, समुदाय के लाभ के लिए परियोजना विकसित करने एवं लोगों की क्षमता बढ़ा पाने में सक्षम हो पाएंगे। क्षतिपूर्ति लोगों को यह महसूस करने में मदद करेगा कि भविष्य का भी मतलब होता है। जीवन के बारे में अच्छा महसूस करें।''

कुछ भारत के अनुभव : भारत में नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश में बने बरगी तथा तवा बांध से विस्थापित हुए हजारों परिवारों का पुनर्वास नहीं हुआ था। न ही उनको वादे के मुताबिक मुआवजा मिला था। बांध बनने के कई सालों बाद उनके द्वारा किए गये संघर्ष के परिणामस्वरूप विस्थापित परिवारों को उन जलाशयों में मछली पकड़ने का अधिकार मिला। यह उनके नुकसानों की आंशिक क्षतिपूर्ति थी।

चर्चा के लिए सवाल :

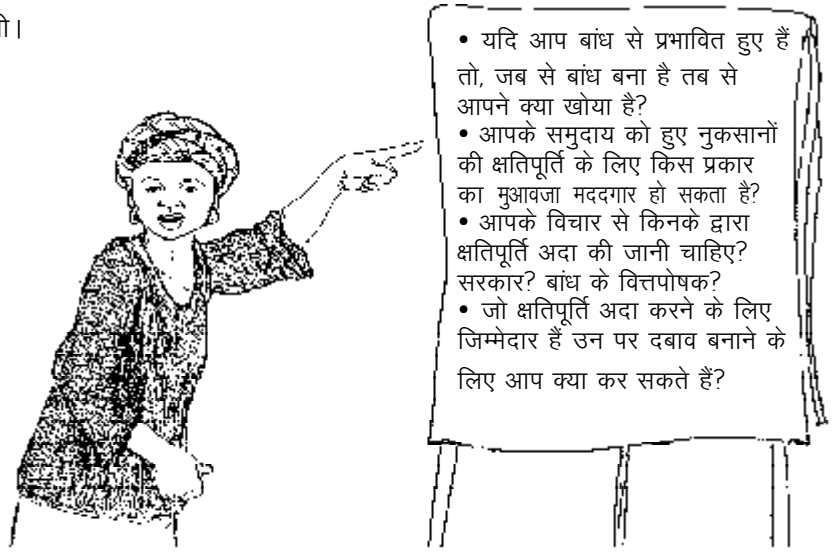

बांधों के विकल्प की दिशाएं

लोगों को पानी, बिजली प्रदान करने एवं बाढ़ से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बेहतर विकल्प मौजूद हैं। ये विकल्प बड़े बांधों के मुकाबले अक्सर किफायती, जल्द बनने वाले, एवं लोगों व पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह होते हैं।

विश्व भर में बांध प्रभावित समुदायों ने बड़े बांधों के विकल्प के बारे में जानकारी एकत्र की है। लोगों ने उन जानकारियों को बेहतर विकल्प के समर्थन में सरकारों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। उनके प्रयासों से कुछ विनाशकारी एवं अनावश्यक बांधों को रोकने में सफलता मिली है।

इस अध्याय में, हम बांधों के कुछ विकल्पों पर चर्चा एवं उन सफल कार्यवाहियों को रेंखाकित कर रहे हैं जिसे समुदायों एवं स्वैच्छिक संगठनों ने बेहतर विकल्प के तौर पर अपनाया है। हम आशा करते हैं कि यह अध्याय आपको विकल्पों के बारे में विचार देगी जिसके लिए आप अपने अभियान के दौरान दबाव बना सकते हैं। चूंकि हरेक क्षेत्र की आवश्यकताएं भिन्न होती है, इसलिए आपको अपने क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनना होगा।

ऊर्जा के विकल्प

कई ऐसे वैकल्पिक तरीके हैं जिससे सरकारें अपने नागरिकों को बिजली उपलब्ध करा सकती हैं। इनमें बिजली की मांग को कम करना, मौजूदा बिजली संयत्रों, उपकरणों व पारेषण लाइनों में सुधार करना एवं नये ऊर्जा के स्रोत तैयार करना शामिल है।

कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट (सीएफएल) बल्ब बिजली की खपत कम करते हैं।

मांग कम करना

फैक्टिरियों, व्यापारियों एवं शहरों में रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित करके ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल से सरकारें ऊर्जा की मांग को कम कर सकती हैं। इसकी लागत कम होती है एवं यह नये ऊर्जा संयंत्रों व नये बांध निर्माण के मुकाबले पर्यावरण के लिए बेहतर है। दिन में जिस समय बिजली की महत्तम मांग होती है उस समय मांग को कम करने से बांध बनाने की जरूरत कम हो सकती है।

ऊर्जा बचाने के कुछ तरीकों के अंतर्गत लोगों को कम बिजली इस्तेमाल करने वाले मशीनों एवं बल्बों की कीमत अदायगी में मदद करना (सब्सिडी देना) शामिल है। सरकारें ऐसा कर सकती हैं कि जो कम्पनियां एवं नागरिक ज्यादा ऊर्जा खपत वाले मशीन इस्तेमाल करते हैं, वे ज्यादा कर अदा करें।

सरकारें लोगों एवं उद्योगों को दिन के अलग–अलग समय में बिजली इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तब बिजली संयंत्र एवं बांध बनाने की आवश्यकता कम होगी।

मौजूदा बांधों एवं पारेषण लाइनो में सुधार करना

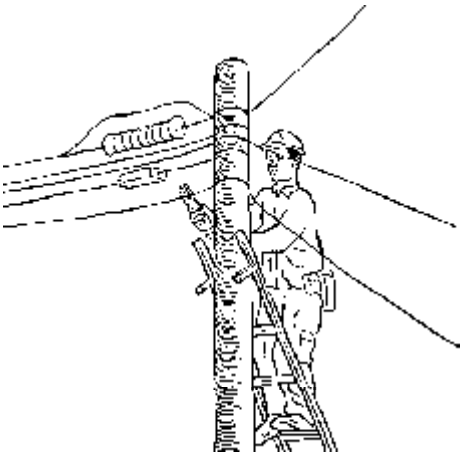

पारेषण लाइन बिजली संयंत्रो से लोगों, शहरों एवं फैक्टिरियों तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। कई देशों में, खराब गुणवत्ता वाली पारेषण लाइने काफी मात्रा में बिजली क्षति करती हैं। पारेषण लाइनों को मरम्मत करके अक्सर बिजली बचाई जा सकती है। भारत में मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आज भी बिजली के अनुपयुक्त पारेषण व वितरण की वजह से उत्पादित बिजली में से 47 प्रतिशत उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही कम हो जाती है। यह घाटा 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

मौजूदा बांधों या बिजली संयंत्रों में भी सुधार किए जा सकते हैं। संयंत्रो की सफाई करके, गाद हटाकर एवं अन्य तकनीकी सुधार करके, बिजली संयंत्रो द्वारा ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। इन सुधारों की लागत कम होते हैं व नये बिजली संयंत्र निर्माण के मुकाबले कम समय लेते हैं। पनबिजली उत्पादन में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महत्तम उत्पादन महत्तम मांग के समय हो। बांधों के जलग्रहण क्षेत्र के ठीक रखरखाव से बांधो में आने वाली गाद कम की जा सकती है।

बेहतर ऊर्जा स्रोत बनाए

यहां पर ऊर्जा उत्पादन के कुछ तरीके दिये गये हैं जो कि बड़े बांधों के मुकाबले पर्यावरण एवं लोगों के लिए कम नुकसानदेह है। इनमें से कई विकल्प बड़े शहरों, फैक्टिरियों एवं ग्रामीण इलाकों में बिजली प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

छोटे जलविद्युत (पनबिजली) छोटे पनबिजली बांध सामान्यतया कुछ मीटर लम्बे होते हैं। ये मिट्टी, पत्थर या लकड़ी से बन सकते हैं। छोटे बांधो में अक्सर जलाशय नहीं होता, इसलिए सामान्यतया लोगों को विस्थापित नहीं करते हैं। नदी का बहाव ज्यादा नहीं बदलता। बहुत छोटे सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं में अक्सर बांध नहीं बनते। वे बिजली पैदा करने के लिए नदियों से थोड़ा सा पानी मोड़ते हैं।

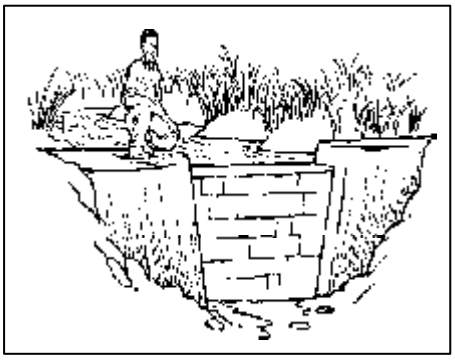

छोटी पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना एवं प्रबंधन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जा सकता है। चीन, भारत एवं नेपाल में हजारों छोटी पनबिजली परियोजनाएं गांवों एवं शहरों में बिजली आपूर्ति करती हैं।

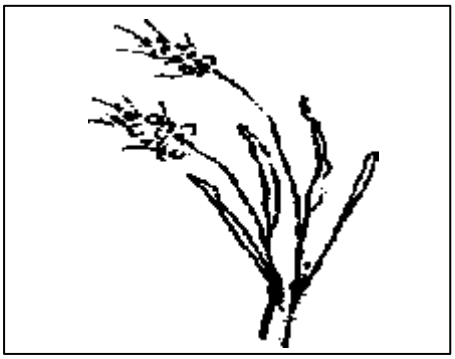

जैव ऊर्जा कई देशों में, जैव ऊर्जा एक आम ऊर्जा स्रोत है। जैव ऊर्जा में वे समस्त रद्दी (अवशिष्ट) सामग्री शामिल होती हैं, जो कि पौधों एवं जानवरों से उपलब्ध होती हैं। जानवरों एवं खेती के कूड़ों का इस्तेमाल स्टोव, गैस उत्पादन व भवनों को गर्म करने में होता है।

जैव ऊर्जा का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर भी हो सकता है। जिन देशों में गन्ने का उत्पादन होता है, वहां कम्पनियों ने गन्ने के खुज्जी को जलाकर बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है। चावल के भूसी एवं लकड़ी के कूड़े को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गन्ने से शक्कर के उत्पादन के दौरान इथेनॉल बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग पेट्रोल में मिश्रण के लिए शुरू हो चुका है।

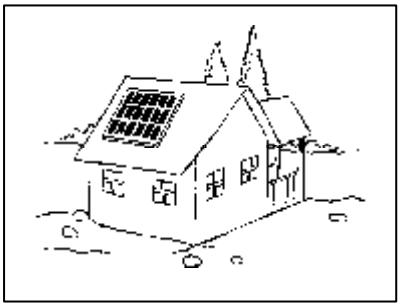

सौर ऊर्जा

सूर्य से बिजली एकत्र करके पानी गर्म करने या बिजली पैदा करने के लिए सौर पैनल को छत पर लगाया जा सकता है। बड़े पैनल ज्यादा सूर्य की गर्मी संग्रह करते हैं एवं ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं। अभी यह महंगा विकल्प है लेकिन भविष्य में इसका चलन बढ़ेगा।

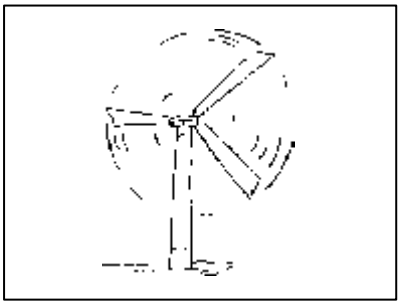

पवन ऊर्जा

बड़े बांधों के मुकाबले हवा (पवन) से पैदा होने वाली बिजली पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह होती है। जर्मनी एवं स्पेन जैसे कई यूरोपीय देशों में पवन टरबाइन द्वारा काफी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। अब भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील जैसे देश स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के लिए कई पवन टरबाइन लगा रही हैं। भारत में आज 6000 मेगावाट से ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है। यू.एस.ए. में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता अब 11600 मेगावाट है और वहां की सरकार का लक्ष्य है कि सन 2030 तक कुल बिजली का 20 प्रतिशत पवन ऊर्जा से मिले।

भूतापीय बिजली

जमीन के अन्दर की गर्मी को उपयोग करके भूतापीय बिजली बनाई जाती है। ये गर्मी जमीन के अन्दर के पानी के जलाशय को गर्म करके भाप बनाते हैं। गर्म भूतापीय पानी को जमीन की सतह पर लाने के लिए कुएं खोदे जा सकते हैं। तब ये तरल पदार्थ ऊर्जा संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए उपयोग किये जा सकते हैं। फिलीपीन्स एवं अल–सल्वाडोर करीब अपनी 25 फीसदी बिजली भूतापीय स्रोतों से पैदा करते हैं।

यूगांडा में स्वैच्छिक संस्थाओं ने बेहतर विकल्पों की पहचान की

यूगांडा सरकार एवं विश्व बैंक ने बहुत पहले से कहा है कि यूगांडा की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुजागली बांध की आवश्यकता है। लेकिन यूगांडा के स्वैच्छिक संगठन ऐसे विकल्प तलाशना चाहते थे जो कि पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह एवं लोगों के लिए बेहतर हों। इसलिए उनलोगों ने व्यापक स्तर पर विकल्प की तलाश शुरू की।

अप्रैल 2003 में, यूगांडा की एक स्वैच्छिक संस्था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एनवायर्मेंटलिस्ट (एनएपीई) ने यूगांडा के लिए सबसे अच्छे विकल्प के तौर पर समझे जाने वाले भूतापीय ऊर्जा पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। विश्व भर के भूतापीय विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, पर्यावरणीय समूह एवं आम लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के बाद, यूगांडा के ऊर्जा मंत्रालय ने देश में ऊर्जा के विकल्प के अध्ययन के लिए एक समूह का गठन किया। यह एनएपीई का ही प्रयास है कि अब यूगांडा में पनबिजली को ऊर्जा के एकमात्र विकल्प के तौर पर नहीं देखा जाता है। अब भूतापीय ऊर्जा जैसे बेहतर, किफायती एवं स्वच्छ विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

पानी की मांग पूरा करने के लिए विकल्प

विश्व भर में नदियों को बांध दिया गया है एवं नमभूमियों को जल आपूर्ति के लिए खाली कर दिया गया है। लेकिन उनमें से बिना कार्यक्षम सिंचाई एवं जल आपूर्ति व्यवस्था से जो रिसाव होता है, उससे काफी मात्रा में पानी बेकार चला जाता है। जो लोग शहरों में रहते हैं अक्सर पानी बेकार में गंवाते हैं। यदि पानी का बेहतर प्रबंध किया जाय तो वह हरेक व्यक्ति के जरूरत के लिए काफी होगा। नीचे कुछ विचार दिये जा रहें है जो मददगार हो सकते हैं।

मांग कम करना

बड़े स्तर की खेती काफी मात्रा में साफ पानी का इस्तेमाल एवं नुकसान करती हैं। बड़े खेतों की सिंचाई व्यवस्था में अक्सर खेतों में पौधों की आवश्यकता से ज्यादा पानी डाला जाता है। अतिरिक्त पानी मिट्टी को नष्ट कर देते हैं। पानी बचाने के लिए ज्यादा कार्यक्षम किस्म की सिंचाई व्यवस्था इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ड्रिप सिंचाई में पानी का ज्यादा बेहतर उपयोग होता है क्योंकि इसमें पानी सीधे पौधों के जड़ों में डाला जाता है। ड्रिप सिंचाई पानी की बचत करता है एवं यह पौधों एवं मिट्टी के लिए बेहतर होता है।

बड़े किसान एवं बड़ी कृषि कम्पनियां कई बार सूखे इलाके में ज्यादा पानी खपत वाले फसल उगाते हैं, जैसे कि चावल एवं गन्ना। बड़े किसानों एवं कम्पनियों को कम पानी वाले फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करके पानी की बचत की जा सकती है। धान के फसल की नयी पद्धति जिसे SRI (System of Rice Intesification) या मेडागास्कर पद्धति (क्योंकि यह पद्धति अफ्रीका महाद्वीप के इस देश में शुरु हुई थी) कहते हैं, उससे पानी की प्रति हेक्टेयर जरूरत 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा कम की जा सकती है। इसके साथ ही उत्पादकता में 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा वृद्धि की जा सकती है। विश्व के 24 देशों में एवं भारत के 10 राज्यों में पिछले पांच साल से हजारों हेक्टेयर में किसानों द्वारा सफल प्रयोग किया जा चुका है। भारत में भूजल देश की वास्तविक जीवनरेखा है, जिसका हाल आज काफी बुरा है क्योंकि बड़े बांधों के पीछे की अंधी दौड़ में हमने भूजल को रिचार्ज करने वाले तंत्र को खतम कर दिया है और दूसरी तरफ हम भूजल का बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं। बारिश के पानी को रोककर उससे भूजल को रिचार्ज करना सबसे सही तरीका है।

वर्षाजल संग्रह करें

समुदायों के लिए पानी उपलब्धता में सुधार के लिए वर्षा जल संग्रहण किफायती एवं प्रभावी तरीका है। लोग आपने छत में बरसने वाले पानी को अपने घर के बगल में टंकी या गड्ढे बनाकर वर्षाजल का संग्रहण कर सकते हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए वर्षाजल एकत्र करने के लिए बड़े मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

खेती के लिए, उपर से नीचे बहने वाले वर्षाजल के संग्रह के लिए लोग अक्सर छोटे बांध या तटबंध बना देते हैं। जमीन पानी को सोख लेते हैं। पानी हासिल करने के लिए कुएं खोदे जा सकते हैं। अन्य तरीके हैं कि नदियों पर छोटे बांध एवं नहर बनाए जाएं। पानी को छोटी लकड़ी, पत्थर या मिट्टी के बांध से रोका जाता है और तब खेत की ओर मोड़ा जाता है।

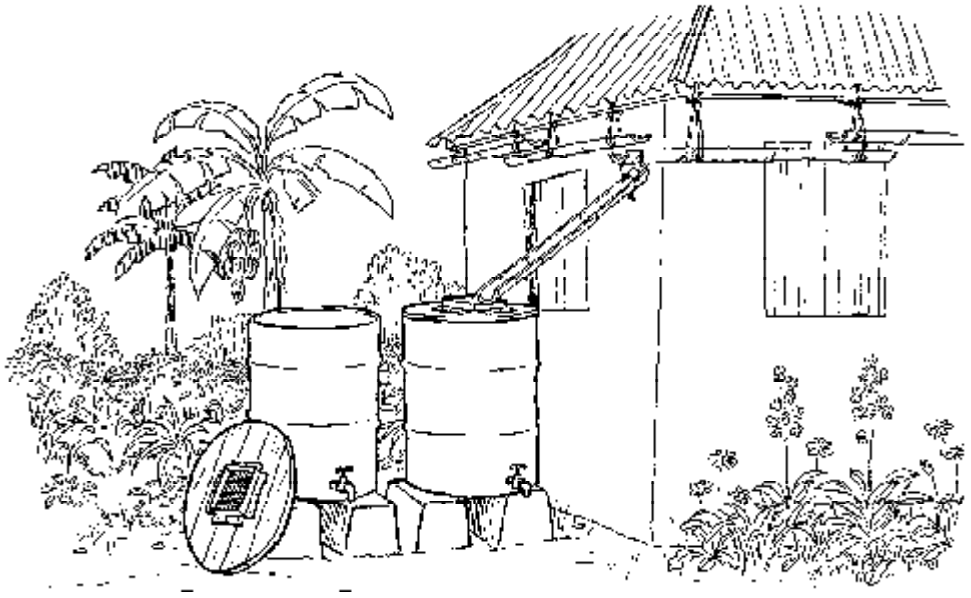

बाढ़ प्रबंधन के विकल्प

बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। हांलाकि, वास्तव में जब बड़ी बाढ़ आती है तो बड़े बांध बाढ़ से होने वाले नुकसान को बदतर बना सकते हैं। बाढ़ को कम करने एवं उन्हें कम विनाशकारी बनाने के लिए कई तरीके हैं। इसमें जलागम क्षेत्र (वाटरशेड) की रक्षा करना एवं बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित करना शामिल है।

वाटरशेड की रक्षा एवं उन्हें कायम करना

बाढ़ों से हाने वाले नुकसानों को रोकने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जलागम इलाकों की रक्षा करना एवं उन्हें कायम रखना। अच्छे नमभूमि, बाढ़ मैदान (floodplain) एवं जंगल पानी रोककर बाढ़ में कमी करते हैं। वे एक स्पंज की तरह काम करते हैं। पेड़ बाढ़ के पानी के रफ्तार को कम कर देते हैं एवं पानी को बाढ़ मैदान में ज्यादा धीरे से फैलाते हैं। तूफान के समय एवं जब पानी का स्तर ऊंचा होता है तब नमभूमि पानी को सोख लेते हैं। जब पानी का स्तर कम होता है तब, नमभूमि उन्हें धीरे–धीरे छोड़ते हैं।

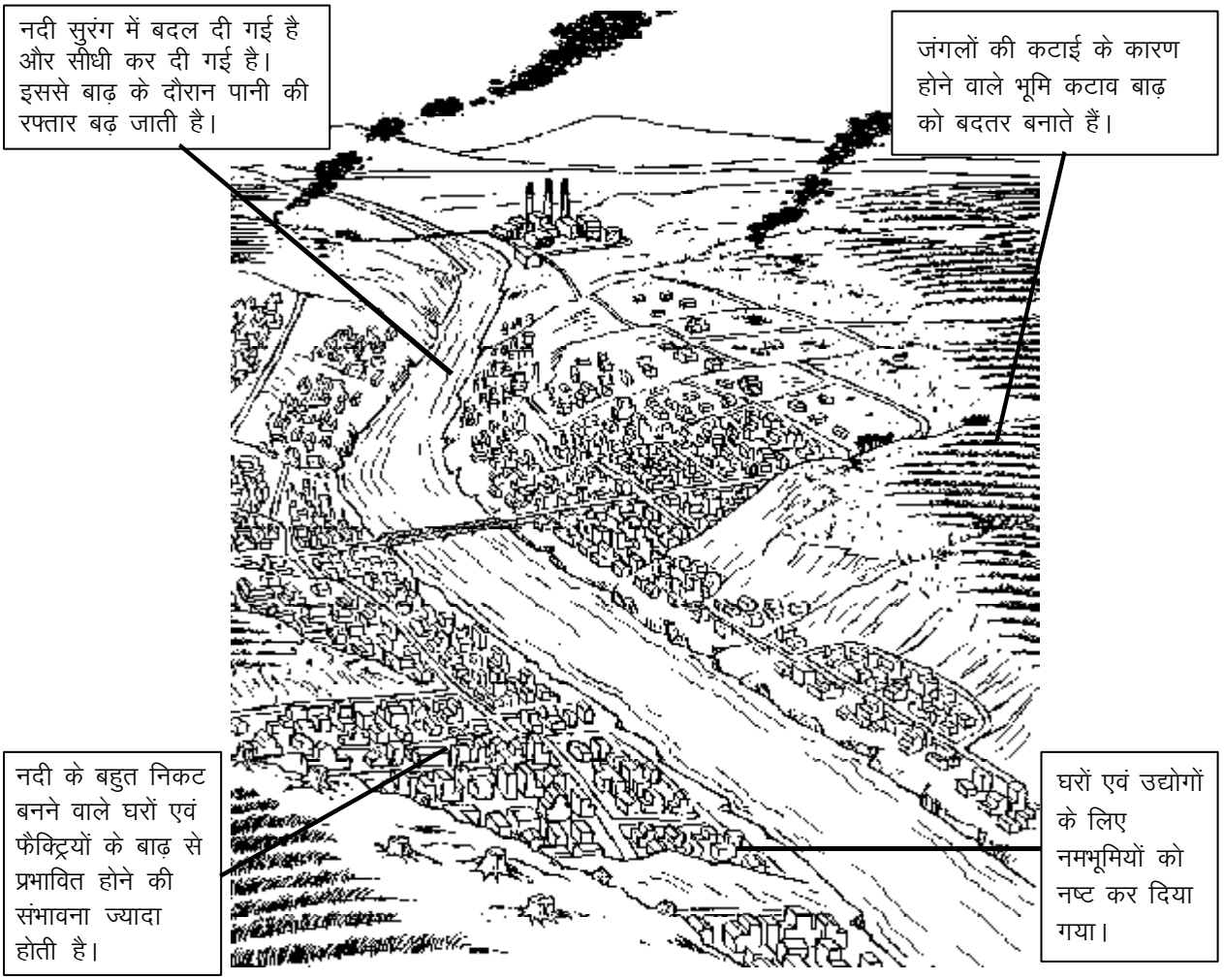

खराब जलागम क्षेत्र प्रबंधन

आज, कई नमभूमियों, बाढ़ मैदान एवं जंगलों को बड़े बांध, सड़क, घर एवं उद्योगो के निर्माण के लिए नष्ट कर दिया गया है। बेहतर बांढ़ नियंत्रण के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों की अवश्य रक्षा की जानी चाहिए। यदि वे नष्ट हो चुके हैं तो, उन्हें फिर से कायम करना चाहिए।

बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित करें

सरकारें बाढ़ चेतावनी प्रणाली में निवेश कर सकती हैं ताकि लोग पहले से ही जान जाय कि कब बाढ़ आने वाली है। इससे लोगों के जान–माल की बचत एवं बाढ़ के नुकसानों में कमी आ सकती है। पूर्व चेतावनी प्रणाली नदी के आस–पास रहने वाले लोगों को अगाह करती है कि कब बाढ़ आने वाली है। इसमें शहरों में लाउडस्पीकर लगाना एवं आपातकालीन योजनाएं शामिल हो सकती हैं कि बाढ़ आने पर क्या करना है। अन्य प्रणालियों के अंतर्गत लोग नदी के स्तर पर ध्यान दें कि उसमें में कितना पानी है। जब पानी एक निर्धारित स्तर से ऊपर बढ़ता है तो, लोग समझ जाएं कि बाढ़ आने वाली है।

आज जब रिमोट सेंसिंग तथा अन्य तरीके से बारिश का अनुमान नदी के जलागम क्षेत्र के लिए वर्षा के पहले किया जा सकता है, जब वर्षा के वास्तविक आंकड़े जुटाए जा सकते हैं, और जब मॉडलिंग से ऐसी वर्षा के आधार पर नदी के प्रवाह का अनुमान किया जा सकता है तब यह और भी जरूरी है कि इन सबका इस्तेमाल बाढ़ के पूर्वानुमान तथा बाढ़ चेतावनी प्रणाली के लिए किया जाए। बांधों के सही संचालन में भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। परंतु बिहार में जहां तटबंध टुटने से बाढ़ आती है वहां इस तरह का पूर्वानुमान भी मुश्किल है।

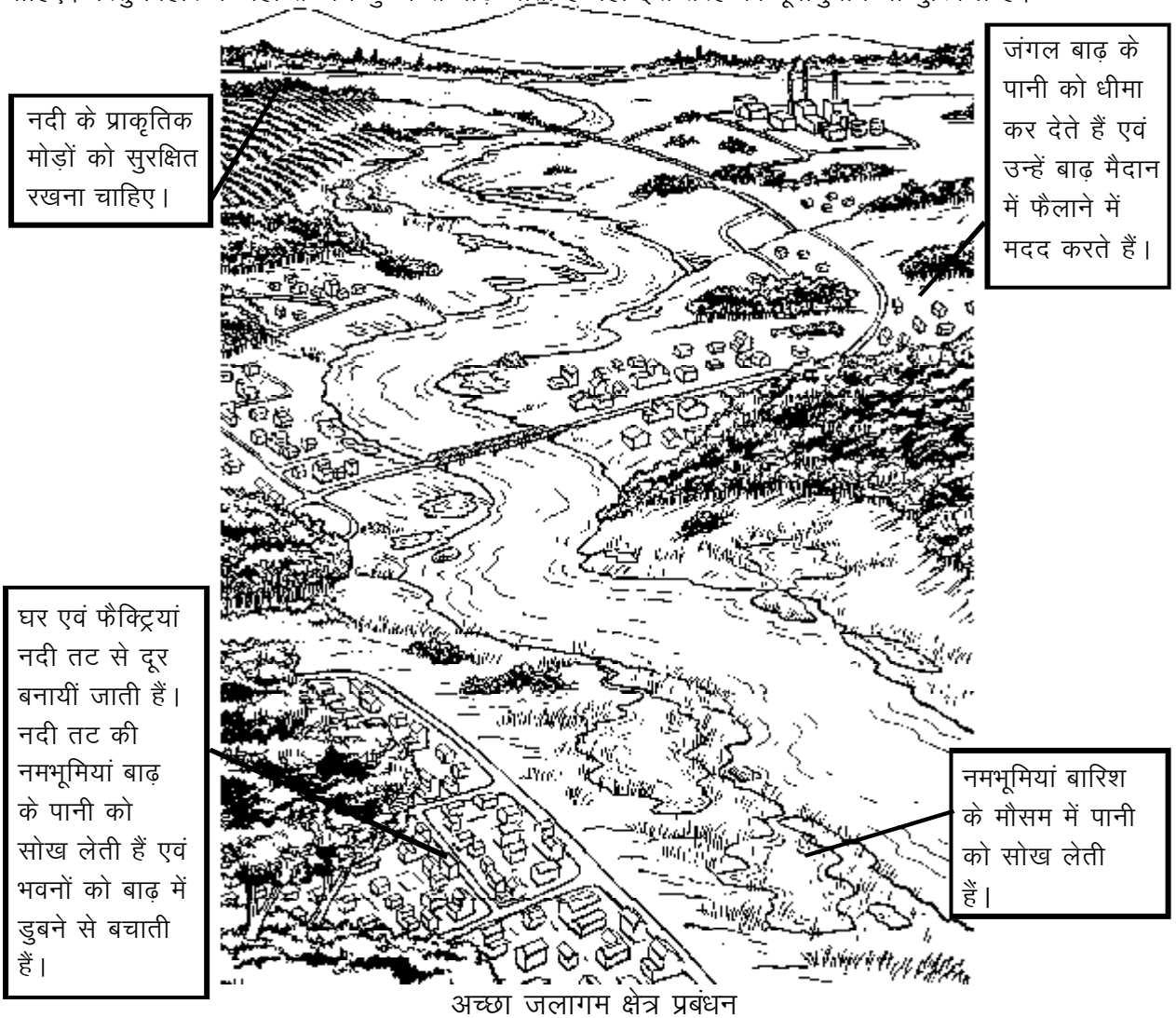

अच्छा जलागम क्षेत्र प्रबंधन

राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण से बदलता जीवन

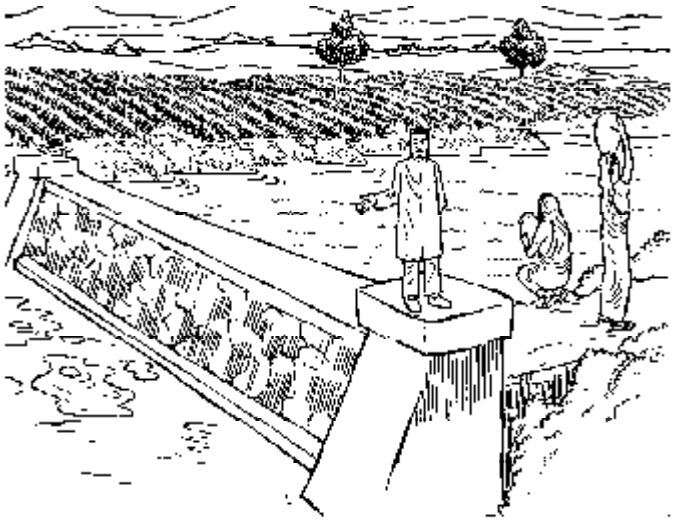

वर्ष 1986 में, भारत के राजस्थान राज्य में अलवर जिला रेगिस्तान की तरह था। लोगों के पास घरेलू इस्तेमाल एवं खेत के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता था। ऐसे समय में, लोगों एवं खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, एक समूह, तरुण भारत संघ का गठन हुआ। तरुण भारत संघ के गठनकर्ताओं ने ध्यान दिया कि राजस्थान के लोग वर्षा जल एकत्र किया करते थे। जब तरुण भारत संघ ने अपना काम प्रारम्भ किया तब, वर्षा जल जोहड़ इत्यादि में एकत्र करने वाले ढांचे करीब–करीब समाप्त हो चुके थे एवं काफी दिनों से किसी ने उनका रखरखाव नहीं किया था।

तरुण भारत संघ ने वर्षा जल एकत्र करने वाले उन ढांचो पर ध्यान दिया एवं छोटे मिट्टी के बांधों को फिर से बनाया, जिन्हें उनके पुरखों ने वर्षा जल को रोकने एवं संरक्षित करने के लिए नालों व नदियों पर बनाया था। राजस्थान में अब 10,000 से ज्यादा छोटे बांध एवं मिट्टी के तटबंध हैं, जो कि 1000 से ज्यादा गांवों के लिए पानी एकत्र करते हैं। ये छोटे बांधों एवं तटबंधों का ही कमाल है कि उस इलाके में भूजल का स्तर ऊपर उठ गया है, एवं कुछ जो नदियां सूख जाया करती थी, वे अब पूरे साल बहती हैं। इससे करीब 700,000 लोगों का जीवन बदल गया है, उनके पास अब घरेलू उपयोग, जानवरों एवं फसलों के लिए आसानी से पानी मौजूद है।

राजस्थान की मंडलवास गांव की एक बुजुर्ग महिला का कहना है कि, ''हमसे पहले वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर नहीं था जैसा कि हमारा है। पानी की वजह से हम सुखी हैं, हमारे जानवर खुशहाल हैं एवं वन्यजीव खुशहाल हैं। हमारे फसलों की पैदावार बढ़ गई है, हमारे जंगल हरे–भरे हैं, हमारे पास जलाऊ लकड़ी, जानवरों के लिए चारा एवं हमारे कुओं में पानी मौजूद है।''

चर्चा के लिए सवाल :

- यह कहानी आपके समुदाय से किस प्रकार जुड़ी हुई है?
- क्या आपके इलाके में वर्षाजल एकत्र करने के लिए कोई पारंपरिक व्यवस्था है?
- क्या उन व्यवस्थाओं के नवीनीकरण से आपके पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है?
- यदि आप काफी संख्या में लोगों को अपनी जल आपूर्ति के लिए तैयार कर लेते हैं तो, यह आपको बांध परियोजना को रोकने में मदद करेगा?

निष्कर्ष

हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यवाही गाइड (मार्गदर्शिका) आपको जानकारी देता है और आपको विनाशकारी बांधों के खिलाफ लड़ने के लिए मदद करता है। हम आशा करते हैं कि अन्य समुदायों की सफलताएं आपको प्रेरित करेगी ताकि आप अपने अधिकार एवं आजीविका की रक्षा कर सकें। आप अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं।

जैसा कि बांध प्रभावित लोगों एवं स्वैच्छिक संगठनों ने 1997 में कहा :
''हम मजबूत हैं, विचार अलग–अलग हो सकते हैं पर हम सब एक हैं एवं हमारे मुद्दे, वजह न्यायपूर्ण हैं। हमने विनाशकारी बांधों को रोका है एवं बांध निर्माताओं पर दबाव बनाया है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करें। हमने अतीत में विनाशकारी बांध रोके हैं, एवं भविष्य में और भी ज्यादा रोकेंगे।''
(ब्राजील के क्यूरिटिबा में 14 मार्च 1997 को हुई ''बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी'' की उदघोषणा।)

ये शब्द सही साबित हुए हैं। एकसाथ मिलकर, हम विनाशकारी बांधों को रोक सकते हैं एवं लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर हम लोगों की बिजली एवं पानी की आवश्यकता को समुदाय एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर ही पूरा कर सकते हैं।

एक साथ मिलकर हम बेहतर भविष्य बना सकते हैं।

प्रमुख सम्पर्क (Important Contacts)

इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क
1847 बर्कले वे
बर्कले सीए 94703, (संयुक्त राज्य अमेरिका)
फोन : (1) (510) 848 1155
ईमेल : info@irn.org
वेब : www.irn.org

International Rivers Network
1847 Berkeley Way
Berkeley CA 94703, (USA)
Phone: + 1 510 848 1155
Email: info@irn.org
Web: www.irn.org.

बांधो, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क (सैण्ड्रप)
86–डी, एडी ब्लॉक, शालीमार बाग
दिल्ली – 110 088
फोन : (91) (11) 2748 4654
ईमेल : ht.sandrp@gmail.com
वेब : www.sandrp.in

श्रीपाद धर्माधिकारी
मंथन अध्ययन केन्द्र
प्लॉट न. 119, सतपुड़ा इस्टेट, दशहरा मैदान रोड
बड़वानी – 451 551 (मध्य प्रदेश)
फोन (91) (7290) 222857 / 94273 45415
ईमेल : manthan_b@sancharnet.in
वेब : www.manthan-india.org

श्री एस उन्नीकृष्णन / सुश्री लता
चालकुडी पूझा संरक्षण समिति
कार्तिक, मनालाट्टील, पोस्ट– ओलुर
त्रिसुर – 680 306 (केरल)
फोन : (91) (487) 235 3021 / 552 4110 / 98473 71337
ईमेल : chalakudyriver@rediffmail.com

श्री विल्फ्रेड डिकोस्टा
इंसाफ (इंडियन सोशल एक्शन फोरम)
ए – 124 / 6, कटवरिया सराय
नयी दिल्ली – 110 016
फोन : (91) (11) 2651 7814
ईमेल : insafdelhi@gmail.com, insaf@vsnl.com

श्री रविन्द्रनाथ
रूरल वालेण्टियर सेन्टर
ग्राम व पोस्ट : अकाजान, वाया –सिलापाथर
जिला धेमाजी – 787 059 (असम)
फोन : (91) (3753) 246306 / 246436 / 245758
ईमेल : ruralvolunteerscentre@yahoo.com

श्री दिनेश कुमार मिश्र
बाढ़ मुक्ति अभियान
डी – 29, वसुन्धरा इस्टेट, एनएच 33
पोस्ट– एमजीएमसी
जमशेदपुर – 831 081 (झारखण्ड)
फोन – (91) 94313 03360 / (657) 657 4059
ईमेल : dineshkmishra@rediffmail.com

सुश्री मेधा पाटकर / आशीष मंडलोई
नर्मदा बचाओ आन्दोलन
62, महात्मा गांधी मार्ग
बड़वानी – 451 551 (मध्य प्रदेश)
फोन : (91) (7290) 222464
ईमेल : medha@narmada.org
badwani@narmada.org
वेब : www.narmada.org
एवं
सुश्री चितरूपा पालित / आलोक अग्रवाल
नर्मदा बचाओ आन्दोलन
जेल रोड, मण्डलेश्वर
जिला – खारगोन (मध्य प्रदेश)
फोन : (91) (7283) 233162 / 94250 56802 / 94250 87827
ईमेल : nobigdam@bsnl.in

श्री लियो सलडान्हा
इनवायर्मेंट सपोर्ट ग्रुप
105 – इस्ट इंड 'बी' मेन रोड
जयानगर, ब्लॉक संख्या 9
बंगलौर – 560 069 (कर्नाटक)
फोन : (91) (80) 2653 1339 / 2244 1977
ईमेल : esg@esgindia.org , esg@bgl.vsnl.net.in
वेब : www.esgindia.org

श्री स्मितु कोठारी / हिमांशु उपाध्याय
इंटरकल्चरल रिसोर्सेज
सी – 72, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–2
नयी दिल्ली – 110 049
फोन : (91) (11) 6566 5677
ईमेल : info@icrindia.org
वेब : www.icrindia.org

श्री आशीष कोठारी / सुश्री मंजु मेनन / नीरज
कल्पवृक्ष
अपार्टमेंट 5, श्री दत्तकृपा, 908, डेक्कन जिमखाना
पूना – 411 004 (महाराष्ट्र)
फोन : (91) (20) 25654239 / 25675450
ईमेल : kvriksh@vsnl.com
वेब : www.kalpavriksh.com

विजयन एम जे / अशोक शर्मा
दिल्ली फोरम
एफ – 10 / 12, मालवीय नगर
नयी दिल्ली – 110 017
फोन : (91) (11) 2668 0883 / 2668 0914
ईमेल : dforum@bol.net.in

श्री विल्फ्रेड डिकोस्टा
इंसाफ (इंडियन सोशल एक्शन फोरम)
ए – 124 / 6, कटवरिया सराय
नयी दिल्ली – 110 016
फोन : (91) (11) 2651 7814
ईमेल : insafdelhi@gmail.com, insaf@vsnl.com

श्री विमल भाई
माटू
डी – 334, फ्लैट न. 10, दूसरा तल
गणेश नगर, पाण्डव नगर कम्पलेक्स
दिल्ली – 110 092
फोन : (91) (11) 2248 5545
ईमेल : matuporg@gmail.com

श्री राजेश / तुलतुल
एकल्व्य
ई – 7 / एचआईजी – 453
अरेरा कॉलोनी
भोपाल – 462 016 (मध्य प्रदेश)
फोन : (91) (755) 2463 380 / 2461 703
ईमेल : eklavyamp@vsnl.com

श्री गोपाल सिवाकोटि 'चिन्तन'
वाटर एंड एनर्जी यूजर्स फेडेरेशन – नेपाल
पोस्ट बॉक्स न. 2125
60, न्यू प्लाजा मार्ग
काठमांडू (नेपाल)
फोन : (977) (1) 442 9741
ईमेल : gopalchintan@gmail.com
वेब : wwwwafed-nepal.org

Mr. Gopal Siwakoti 'Chintan'
Water and Energy Users Federation–Nepal
G.P.O Box 2125
60 New Plaza Marga
Kathmandu, Nepal
Phone: +977 1 442 9741
Email: gopalchintan@gmail.com
Web: www.wafed-nepal.org

श्री अमजद नजीर
सुंगी डेवलेपमेंट फाउंडेशन
एच 7–ए, गली न. 10,
एफ – 8 / 3
इस्लामाबाद (पाकिस्तान)
फोन : (92) (51) 228 2481
ईमेल : amjad.nazeer@sungi.org
वेब : www.sungi.org

Mr. Amjad Nazeer
Sungi Development Foundation
H.7–A, Street 10,
F–8/3
Islamabad, Pakistan
Phone: +92 51 228 2481
Email: amjad.nazeer@sungi.org
Web: www.sungi.org

बांग्लादेश पोरिबेश आन्दोलन
9 / 12, ब्लॉक– डी, लालमटिया
ढाका – 1207 (बंग्लादेश)
ईमेल : memory14@agni.com

Bangladesh Poribesh Andolan
9/12, Block-D, Lalmatia
Dhaka – 1207 (Bangladesh)
Email: memory14@agni.com

सैण्ड्रप के पास उपलब्ध प्रकाशन

PUBLICATIONS IN ENGLISH: (अंग्रेजी के प्रकाशन)

1. *Large Dams for Hydropower in NorthEast India* SANDRP-Kalpavriksh, June '05, p 228, Rs 150 (indv), Rs 300 (inst)
2. Tragedy of Commons: The Kerala Experience in River Linking, River Research Centre-SANDRP, '04, p 146, Rs 120
3. *Unravelling Bhakra*, Shripad Dharmadhikary, Manthan, 2005, pp 372, Rs 150/- (individuals); Rs 300 (institutions)
4. THE GREATER COMMON GOOD by Arundhati Roy, Published by India Book Distributors, 1999, pp 76, Rs 80/-
5. *Tehri Environment and Rehabilitation: Towards Failure and Devastation*, Published by MATU, pp44, Rs 25/-
6. Citizens' Guide to the World Commission on Dams, By A Imhof, S Wong & P Bosshard, IRN, pp 59, Rs 30/-.
7. *Know Your Power:* A Citizen's Primer on the Electricity Sector, Prayas, Pune, 2004, p 138, Rs 150/-
8. *Insidious Financial Intrusions in India's North East*, IR & FIPA, April '06, pp 100, Rs 50/-
9. *Conserving Raindrops a Much Better Option than Linking Rivers* by Bharat Dogra, pp 8, Rs 4/-.
10. *Green Tapism: A Review of the EIA Notification -'06,* Environment Support Group, Bangalore, 2007, p 201, Rs 250/-
11. *Water Private Limited*, Manthan (Madhya Pradesh), Dec 2006, pp 122, Rs 50/-

हिन्दी के प्रकाशन

1. नदी जोड़ योजना के मायने, वास्तविकता के आइने में, सैण्ड्रप, 2004, पृष्ठ 58, रुपये 20/–
2. केन–बेतवा नदी जोड़ : प्यासी केन का पानी बेतवा में क्यों?, सैण्ड्रप, 2004, पृष्ठ 46, रुपये 20/–
3. बड़े बांध : भारत का अनुभव, सैण्ड्रप, 2001, पृष्ठ 268, रुपये 100/–
4. विश्व बांध आयोग पर नागरिक मार्गदर्शिका सैण्ड्रप, 2002, पृष्ठ 63, रुपये 30/–
5. भारत में बड़े बांध का लेखा जोखा (बड़े बांधः भारत का अनुभ का सारांश), मंथन, पृष्ठ 18, रुपये 5/–
6. नदी नहीं जोड़ना, बूंद–बूंद सजोना, भारत डोगरा, पृष्ठ 16, रुपये 8/–

कृपया अपने आर्डर के लिए बैंक ड्राफ्ट भेजें जो "डैम्स, रिवर्स एंड पिपुल" **(Dams, Rivers & People)** के नाम एवं **दिल्ली** में देय हो एवं उसे (सैण्ड्रप, द्वारा 86–डी, ए.डी. ब्लॉक, शालीमार बाग, दिल्ली – 110 088) के पते पर भेजें। कृपया प्रत्येक प्रकाशनों के लिए डाक व पैकिंग व्यय के तौर पर रुपये 25/– अतिरिक्त भेजें।

Dams, Rivers & People (डैम्स, रिवर्स एंड पिपुल)

The annual subscription for the DRP is Rs 125/-. Please send DD in favour of "**Dams, Rivers & People**", payable at **Delhi**, to our Delhi address (DRP, c/o 86-D, AD Block, Shalimar Bagh, Delhi & 110 088). Or, you can send money order to Delhi address. Subscription can be sent for multiple years at the same rate. The DRP is also available in electronic versions and can be accessed at www.sandrp.in/drpindex

IRN
International Rivers Network
linking Human Rights and Environmental Protection

SANDRP
बांधों, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क